जून 2001

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

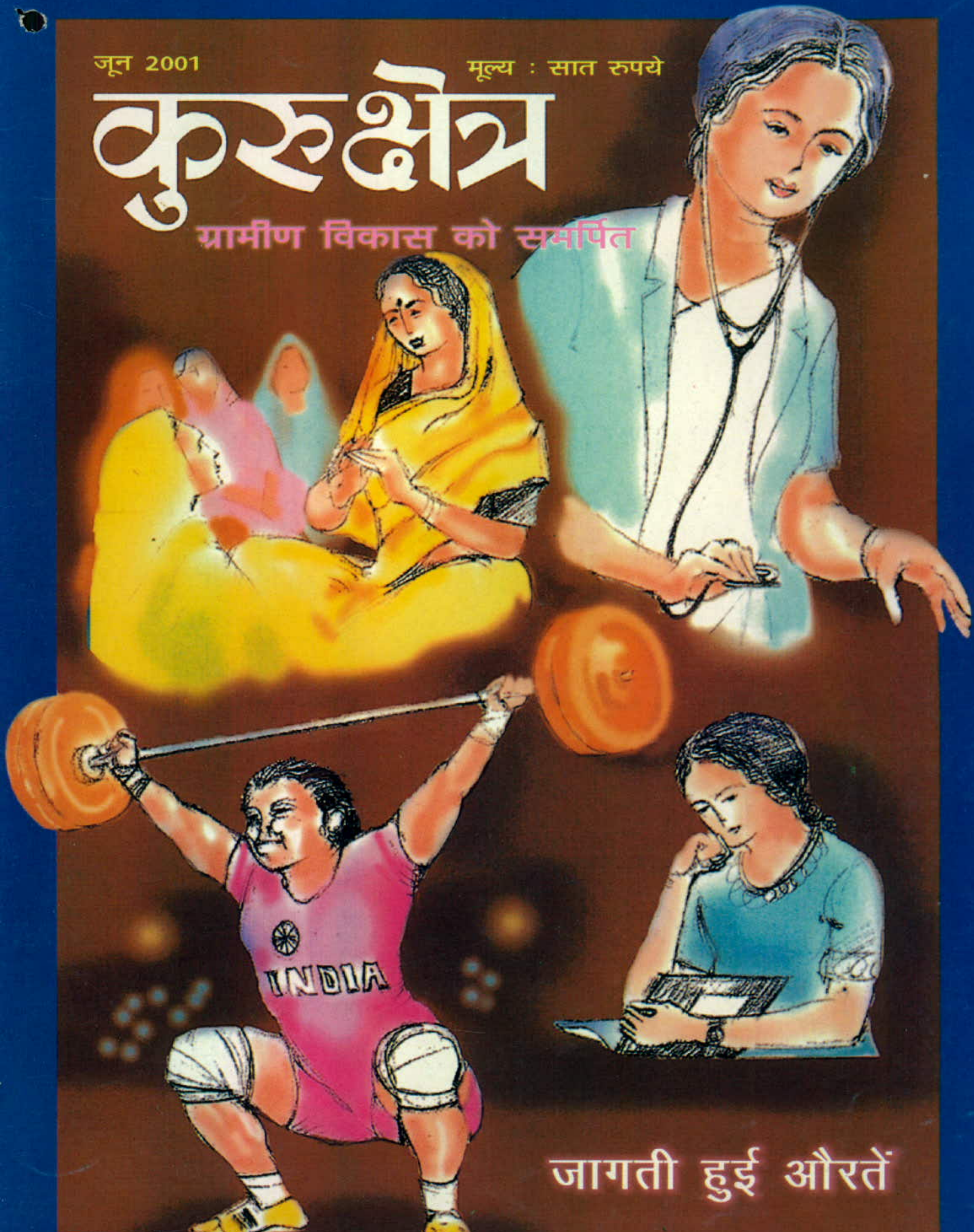

जागती हुई औरतें

अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं महिला सरंपच

सम्मानित सरपंच श्रीमती उर्मिला यादव और श्रीमती सुरमंजरी अपने–अपने प्रशस्ति पत्र के साथ

पंचायती राज व्यवस्था में जब से महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान हुआ है तभी से महिलाओं की योग्यता, उनकी भूमिका और कार्य करने के तौर–तरीकों पर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। पुरुष–प्रधान समाज और सत्ता में पुरुषों के दबदबे के चलते हालांकि महिलाओं को ग्राम पंचायत के सदस्य और संरपच से लेकर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख यानी तीनों स्तरों पर सभी प्रकार के विरोध और असहयोग का सामना करना पड़ा है लेकिन तमाम पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक विरोध और असहयोग के बावजूद महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को बखूबी दर्शाया है। इसी के चलते परिवार के सदस्यों सहित सभी ने विरोध छोड़कर सहयोग का रास्ता अपना लिया है। अब महिलाएं आंख मूंदकर अंगूठा लगाने, हस्ताक्षर करने अथवा परिवार के किसी सदस्य के इशारे पर काम करने वाली नहीं रहीं। अब वे अनपढ़, कम पढ़ी–लिखी होने के बावजूद सभी पंचायती कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं और अपने राजनैतिक अधिकारों पर खुलकर बात करने लगी हैं। यह बात सामने आई है देशभर से 300 से अधिक महिला सरपंचों के दिल्ली में दो दिवसीय महिला राजनैतिक सशक्तीकरण दिवस के मौके पर आयोजित सम्मेलन से। इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के सभी भागों से महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दो महिला सरपंचों – श्रीमती उर्मिला यादव और श्रीमती सुरमंजरी को उनके द्वारा किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया।

उर्मिला यादव हरियाणा के रिवाड़ी जिले की कोसली ग्राम पंचायत की प्रमुख हैं। लगभग 18 हजार की आबादी वाले इस गांव में तहसीलदार बैठता है। वैसे तो उर्मिला यादव पिछले 15 सालों से गांव में रहकर समाज सेवा कर रही हैं और दस साल तक पंच रहीं लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के

(शेष आवरण पृष्ठ तृतीय पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 46 अंक 8

ज्येष्ठ–आषाढ़ 1923

जून 2001

संपादक
बलदेव सिंह मदान

सह संपादक
रवि सपरा

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
पी.सी. आहूजा

आवरण सज्जा
सलिल शैल

फोटो साभार :
मीडिया डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- जागती हुई औरतें — आशारानी व्होरा — 4
- बढ़ती साक्षरता का ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव — डा. स्वेता मिश्रा — 7
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : एक समीक्षा — राजन मिश्रा व मंजुला मिश्रा — 10
- मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था — डा. यतीन्द्र सिंह सिसोदिया — 11
- पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं / दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता — डा. विपिन्द्र कुमार सोनी — 16
- श्रद्धांजलि (कहानी) — महेश चन्द्र जोशी — 19
- कितना सुरक्षित है हमारा पर्यावरण? — डा. अरविन्द जैन — 22
- उजड़ते वन : प्राकृतिक त्रासदी को आमंत्रण — इरा सिंह — 27
- वनों की सुरक्षा और ग्रामीण — अंकुश्री — 29
- ग्रामीण ऊर्जा स्रोतों पर नई सोच की जरूरत — डा. कृष्ण कुमार सिंह — 31
- निर्धनों की कामधेनु : बकरियां — डा. सुनील कुमार "प्रियबच्चन" — 36
- उपयुक्त प्रौद्योगिकी बदलेगी तस्वीर गांव की — ममता भारती — 38
- ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ता है टेलीविजन — डा. विनोद गुप्ता — 41
- बड़े काम का है केला — कोशल किशोर चतुर्वेदी — 43

पाठकों के विचार

अधिक जोगी मठ उजाड़

कुरुक्षेत्र के हर अंक की तरह मार्च, 2001 का अंक भी बेहद उपयोगी जानकारियों की सौगात लेकर आया। इसके लिए *कुरुक्षेत्र* परिवार को कोटिशः साधुवाद।

इस अंक में डा. उमेश चन्द्र का आलेख *कैसे संभव होगा गांवों का वास्तविक विकास* जब पढ़ा और पता चला कि सरकार अभी तक ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए 19, गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 20 तथा कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ 24 योजनाएं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कम–से–कम 63 योजनाएं लागू कर चुकी हैं, तो समझ में आया कि अभी तक ग्रामीण विकास की गाड़ी अपनी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ सकी। कहावत है 'अधिक जोगी मठ उजाड़'। योजनाओं की इतनी संख्या और इनमें जल्दी–जल्दी परिवर्तन इस बात को बताने के लिए काफी है कि इस दिशा में पर्याप्त सफलता क्यों नहीं मिली है।

यह भी सच है कि इन योजनाओं को सफल बनाना ग्राम पंचायतों के लिए संभव है लेकिन ग्राम पंचायतें अभी तक स्वयं अपनी जड़ें जमाने में ही लगी हैं। सचमुच ग्रामीण विकास के लिए आह और चाह तो है लेकिन राह जरा मुश्किल है।

बबीता मग, ग्राम – ब्रह्मपुरा,
वाया – बेनीपट्टी, जिला – मधुबनी
(बिहार) पिन–847223

साक्षरता अभियान को सामाजिक दायित्व का रूप दिया जाए

कुरुक्षेत्र के मार्च 2001 के अंक में डा. उमेश चन्द्र का लेख *कैसे संभव होगा गांवों का वास्तविक विकास* ग्रामीण विकास की योजनाओं, उनके क्रियान्वन एवं गरीबी कम न होने के कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। स्पूनफीडिंग की प्रवृत्ति पर उनकी टिप्पणी समीचीन एवं व्यावहारिक है। समय आ चुका है कि इस प्रवृत्ति पर गहन चर्चा हो तथा कुछ ठोस उपाय किए जाएं।

साक्षरता अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी पर इरा सिंह जी के सुझाव उत्साहवर्धक होते हुए भी कुछ अव्यावहारिक प्रतीत हुए। नौकरी एवं रोजगार के अन्य साधनों में इस प्रकार के कार्यों की अनिवार्यता

इस सामाजिक दायित्व को महज एक सरकारी कार्यक्रम बना देगी तथा यह भी 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' की भांति असफल सिद्ध हो सकता है। बेहतर यही है कि इस कार्यक्रम को सामाजिक दायित्व का रूप प्रदान किया जाए तथा युवकों की भागीदारी ऐच्छिक आधार पर सुनिश्चित की जाए। जल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण पर सामग्री विचारोत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक थी।

अनुराग देवानप्रिय, द्वारा डा. राजीव शर्मा
532ख/1ख, मेंहदी टोला,
डाक : विकासनगर, लखनऊ

अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाए

कुरुक्षेत्र का मार्च 2001 अंक अन्य अंकों के समान ही उपयोगी लगा। *'स्वयं सहायता समूह : आत्म निर्भर बनने का अनूठा उदाहरण'* में हरि विश्नोई जी ने उत्तर प्रदेश के 20,000 समूहों के बारे में जो जानकारी दी है वह निश्चय ही उत्साहवर्धक है। *'जल संरक्षण है सूखे का स्थायी समाधान'* में श्री अरोड़ा द्वारा व्यक्त विचारों से मैं सहमत हूं। जल संरक्षण एवं जैविक पदार्थों के प्रबंधन का दायित्व स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को देकर ग्रामीण विकास में तेजी लाई जा सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का अलग–अलग सर्वेक्षण कराकर उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत तथा लक्ष्य से कम हासिल करने वालों को तीव्र प्रगति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायत सदस्यों को अल्पावधि का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

साक्षरता अभियान में शिक्षित भारतीयों को जोड़ने के लिए इरा सिंह ने नौकरियों में 'साक्षरता प्रमाण पत्र' के बारे में जो बात कही है उससे भी मैं सहमत हूं। इसी तरह की व्यवस्था लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनावों में भी करनी चाहिए। यह निश्चित किया जाए कि स्थानीय निकायों के चुनावों में पात्रता के लिए कम से कम एक निरक्षर को साक्षर करना आवश्यक होगा।

इस अंक की कहानी 'अपना अपना सच' काफी कमजोर लगी। कृपया अच्छी कहानियां प्रकाशित करें।

अवानी कुमार शर्मा
द्वारा श्री अम्बिका चरण शर्मा
समाहर पालम, समस्तीपुर–848101

योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से ग्रामीण विकास सम्भव

कुरुक्षेत्र का मार्च 2001 का अंक पूर्व की भांति समर्पित, प्रेरणास्पद तथा जनोपयोगी लेखों से भरपूर है। इस अंक में ग्रामीण विकास के मार्ग में बाधाओं एवं समाधानों के बारे में चर्चा की गई। ग्रामीण विकास के लिए कम से कम एक सौ योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए गए किन्तु आज भी गांवों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। उचित क्रियान्वयन

के अभाव में ज्यादातर योजनाएं प्रभावी रूप से सफल नहीं हो सकीं। ग्रामीण नागरिकों में साक्षरता का प्रतिशत कम है दूसरी ओर योजनाओं के नियम बहुत ही जटिल होते हैं। उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके तथा योजनाओं का प्रचार भी किया जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों का बेहतर प्रयोग किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उचित नियोजन करके जैसा क्षेत्र हो वैसी ही योजना लागू करनी चाहिए। देश में ग्रामीण विकास के स्वप्न को तभी साकार किया जा सकता है जब क्रियान्वयन निष्ठा एवं लगन से हो।

आदर्श कुमार गंगवार,
ग्राम+पोस्ट – खिनमिनी,
फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

महिलाओं के सहयोग से ही भेदभाव रहित समाज का निर्माण संभव

ग्रामीण विकास हेतु कटिबद्ध *कुरुक्षेत्र* का मार्च 2001 अंक पढ़ा। सही मायनों में ग्रामीण आत्मनिर्भरता व उन्नति की दिशा में हर क्षेत्र को स्पर्श करता यह अंक अतिशय उपयुक्त और सराहनीय है। *कैसे संभव होगा गांवों का वास्तविक विकास* और *ग्रामीण विकास : कल, आज और कल* लेख विकास में उत्पन्न बाधाओं को इंगित कर इनसे निपटने के कारगर उपाय बताते हैं जिससे विकास की गति अधिक तीव्र कर इसमें पर्याप्त जन–भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

डा. संदीप जोशी व डा. राजमणि त्रिपाठी के लेख वास्तविकता दर्शाते हैं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में पंचायतों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता व पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के योगदान द्वारा ही एक आत्मनिर्भर व भेदभाव रहित ग्रामीण परिवेश का निर्माण किया जा सकता है।

आलोक कुमार देवीप्रसादजी अग्रहरी,
ग्राम+पोस्ट/तह. – पुसद,
जिला – यवतमाल–445204
(महाराष्ट्र)

ग्रामीणों में जागरूकता लानी होगी

भारत गांवों का देश है। करीब 74 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में रहते हैं और 26 प्रतिशत शहरों में। जब तक गांव का विकास स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक देश के स्तर में वृद्धि नहीं हो पाएगी। स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बाद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में है। अभी भी ग्रामीण लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जिसका खामियाजा सभी भुगत रहे हैं। पांच दशक में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए अनगिनत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया मगर आज तक गांवों का विकास फलीभूत नहीं हो सका। इसकी मुख्य वजह है – समय–समय पर सरकारों द्वारा कार्यक्रमों को ईमानदारी से कार्यरूप नहीं दिया जाना। प्रत्येक गांव में बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना होगा और साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना करना भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य कार्य करना। लोगों में जनजागरण फैलाना होगा। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जनसंख्या में वृद्धि को भगवान की देन मानते हैं। इस भ्रांति को तोड़ना होगा और उन्हें परिवार नियोजन अपनाकर अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना होगा।

नवलकिशोर सिंह,
ग्राम+पो. – मेरही,
जिला – सीवान (बिहार)

जल हमारी सबसे बड़ी शक्ति है

मार्च के *कुरुक्षेत्र* में *'जल संरक्षण है सूखे का स्थायी समाधान'* लेख अच्छा लगा। जल संरक्षण और जल बचत हेतु जल की सही कीमत वसूलना ही सबसे सही व आसान तरीका है। भारत में किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया करवा कर धरती मां के आंचल में से जरूरत से अधिक पानी की आजादी होने के कारण लापरवाह किसान ने धरती को जलविहीन कर दिया है। दूसरी ओर शहरों व कस्बों में मुफ्त पानी मिलने का अनुमान दिल्ली की प्रतिदिन मांग 800 करोड़ गैलन होने से लगाया जा सकता है। क्यों पीता है दिल्ली का एक बाशिंदा 3200 लीटर पानी एक दिन में जबकि एक ग्रामीण की दैनिक आवश्यकता 70 लीटर प्रतिदिन आंकी जाती है। अतः मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि पानी के किसी भी स्रोत से घरेलू व व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एक पैसा प्रति लीटर की अत्यन्त मामूली कीमत वसूली जाए। कृषि हेतु प्रति हेक्टेयर 1,000 रुपया लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति वर्षा जल को वैज्ञानिक तरीके से बंद जगह में इकट्ठा करके उसका घरेलू या व्यापारिक इस्तेमाल करता है तो उस खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाए। यदि कोई किसान ड्रिप या अत्यन्त किफायती सिंचाई की व्यवस्था कर लेता है तो उतने क्षेत्रफल से तिगुने क्षेत्र का उससे कोई सिंचाई शुल्क न लिया जाए। यदि कोई किसान अपने खेत की कुल बरसात में से 50 से.मी. बरसात के पानी को अपने खेत में ही रोकता है तो उससे भी कोई शुल्क न लिया जाए। उपर्युक्त तरीकों से यदि पानी की न्यूनतम कीमत वसूली जाए तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में लगभग 4,000 अरब घन मीटर पानी प्रति वर्ष बरसता है जबकि हमारी खपत मात्र 800 अरब घन मीटर प्रति वर्ष है। जल भारत की सबसे बड़ी शक्ति है न कि लाचारी, क्योंकि पानी की उपर्युक्त कीमत से सरकार को 1,700 करोड़ रुपये मिल जाएंगे।

डा. आलोक शर्मा, काली माई सन्तर,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक,
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

जागती हुई औरतें

आशारानी व्होरा

केवल शहरी पढ़ी–लिखी और अधिकार सम्पन्न नारी ही नहीं, गांव स्तर पर भी नारी जाग उठी है। उसे उसके अधिकार मिलें या नहीं, पर इस ओर से अब वह बेखबर नहीं है। पंचायती राज ने उन्हें उनके अधिकारों से लैस ही नहीं किया, उनके भीतर की सोई शक्ति को भी जगा दिया है और वे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार हैं।

वेद ऋचाएं रचने वाली भी भारत की नारी थी
शास्त्रार्थ में जमने वाली भी भारत की नारी थी
रण–कौशल दिखलाने वाली भी भारत की नारी थी
जौहर–चिता सजाने वाली भी भारत की नारी थी
बुद्धिमान थी, प्राणवान थी, कभी न वह बेचारी थी
सोचो, उसने आगे क्यों यह जीती बाजी हारी थी?

लेकिन सदियों तक 'अबला' कहलाने वाली भारत की नारी अब अबला नहीं है। अनपढ़ हो, कम पढ़ी या उच्च शिक्षित, अब वह बेबसी की चादर ओढ़े सोई नहीं है, करवट लेकर जाग उठी है। कुछ तो आजादी की लड़ाई में गांधीजी के आह्वान ने ही उसे जगा दिया था और वह देश को स्वतन्त्र कराने के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा भिड़ा कर देश के विशाल रणक्षेत्र में कूद पड़ी थी। न उसकी अशिक्षा आड़े आई, न पति के जेल जाने पर घर की आर्थिक स्थिति, न स्वयं के जेल जाने पर पीछे छूटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। यहां तक कि जेल–जीवन में जाति–बिरादरी के भेद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के बंधन तक उसने तोड़ गिराए थे। पति जेल में, स्वयं जेल में, पर घर में खस्ताहाली या छोटा बच्चा बीमार होने पर भी वह माफी मांग कर छूटने के लिए राजी नहीं हुई थी।

गांधीजी ने उसके भीतर की शक्ति को पहचान कर जगा दिया था तभी तो भारत के

आजाद होते ही उसे पुरुषों के साथ ही समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके। ये अधिकार स्त्री–पुरुष की साझी लड़ाई का प्रतिफल थे, जिसे आगे साझी लड़ाई जारी रख कर ही सामाजिक अधिकारों में बदलना था। पर पश्चिम से आई, उसी तर्ज की नारी–मुक्ति की आंधी ने आजादी के बाद, तमाम प्रगति के बावजूद, उसे सहकार के स्थान पर स्त्री–पुरुष प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया और भारतीय नारी को सहज प्राप्त कानूनी अधिकार सामाजिक व्यवहार का अंग नहीं बन पाए और नारी–शोषण को नई राह मिल गई।

आजादी, अधिकार, शैक्षणिक–सामाजिक प्रगति के तमाम आंकड़ों के साथ, शोषण और यौन–उत्पीड़न के क्या मायने हैं? स्त्री के सिर उठाते ही पुरुष अहं फन उठाए क्यों फुफकार उठता है? उसे कुचलने के लिए क्यों तैयार होने लगता है? आजादी से पहले उसे शिक्षा, समाज–सुधार, जागृति, रोजगार, हर क्षेत्र में उसके अधिकारों की स्वयं वकालत करने वाला और उसे प्रेरित कर, आगे बढ़ाने वाला वही पुरुष (राजा राममोहन राय हो या ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद हों या विवेकानंद, महर्षि कर्वे हों या महात्मा गांधी – एक लंबी सूची है) उसका प्रतिद्वंद्वी बन उसका शोषक और उसे पीछे धकेलने वाला कैसे बन गया? यह बार–बार सोचने की बात है। सोचने की ही नहीं, वर्तमान स्त्री, पुरुष दो प्रतिद्वंद्वी वर्ग वाला दृष्टिकोण छोड़कर, फिर से आजादी–पूर्व वाला वही 'सहकार का पथ' अपनाने की जरूरत है ताकि न कहीं उसे हारना पड़े, न भंवरी बाई की तरह निर्वस्त्र होने की त्रासदी झेलनी पड़े।

जमीनी लड़ाइयां

आज की यह एक सच्चाई है कि केवल शहरी पढ़ी–लिखी और अधिकार सम्पन्न नारी ही नहीं, गांव स्तर पर भी नारी जाग उठी है। उसे उसके अधिकार मिलें या नहीं, पर इस ओर से अब वह बेखबर नहीं है। पंचायती राज ने उन्हें उनके अधिकारों से ही लैस नहीं किया, उनके भीतर की सोई शक्ति को भी जगा दिया है और वे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार हैं। इसीलिए तो 'जमीन से जुड़े महिला आंदोलन' जगह–जगह सिर उठा रहे हैं। चाहे वह पहाड़ से शुरू हुआ 'चिपको आंदोलन' हो या आंध्र प्रदेश का 'चरक आंदोलन', गांव की स्त्रियां उनके घरों में तबाही लाने वाली शराब के खिलाफ जगह–जगह उठ खड़ी हुई हैं। चाहे सहकारी संघों द्वारा स्वयं रोजगार जुटाने की बात हो या अपनी अल्प बचत से अपनी बैंकिंग व्यवस्था चलाने की। गुजरात की 'सेवा' जैसी अनेक संस्थाएं हर राज्य में आज उनकी सहायता व मार्गदर्शन के लिए आगे आई हैं।

पर सफलता उन्हें वहीं मिली है, जहां संस्थागत या सहकारी प्रयत्नों से उन्होंने लाभ उठाया है या जहां गांव के पुरुष वर्ग को उन्होंने साथ लिया है अथवा वे उनकी मदद

पर ऐसे सारे मामलों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' की परियोजनाएं उन्हें आगे बढ़ाएं या नहीं, अब उनके उठे कदम न रुकेंगे, न पीछे लौटेंगे। इस मामले में शहरी सुशिक्षित महिलाओं से कहीं न कहीं वे आगे ही हैं, क्योंकि उनमें जुझारूपन ज्यादा है, लड़ने और सहने की ताकत अपेक्षाकृत ज्यादा है।

के लिए आगे आए हैं। जहां उन्हें सहयोग नहीं, विरोध का सामना करना पड़ा, वहां उन्हें शोषण का शिकार भी होना पड़ा और जम कर लड़ाई भी लड़नी पड़ी, जिसमें कहीं वे जीतीं, तो कहीं लहूलुहान भी हुईं। पर ऐसे सारे मामलों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' की परियोजनाएं उन्हें आगे बढ़ाएं या नहीं, अब उनके उठे कदम न रुकेंगे, न पीछे लौटेंगे। इस मामले में शहरी सुशिक्षित महिलाओं से कहीं न कहीं वे आगे ही हैं, क्योंकि उनमें जुझारूपन ज्यादा है, लड़ने और सहने की ताकत अपेक्षाकृत ज्यादा है। कुछ उदाहरण लें :

गांव गुआडा कालौल की जमूरी बाई दो महीने तक अकेले काम करके, दो बीघा जमीन में जोहड़ खोद कर, गांव का जल–संकट दूर करने में सफल हुई और उसके बाद सारा गांव उसे 'भागीरथी' कह कर सम्मान देने लगा। शुरू में इस काम के लिए जब कोई भी पुरुष सामने नहीं आया तो जमूरी ने अकेले ही यह बीड़ा उठाने का जिम्मा ले लिया, फिर गांव की कुछ अन्य स्त्रियां भी हाथ बंटाने आ गईं और उनके पीछे कुछ पुरुष भी। इस सफलता से उत्साहित जमूरी बाई ने बाद में गांव की अन्य समस्याओं को भी गांव के स्तर पर ही सुलझाने का काम हाथ में लिया और गांव की 56 महिलाओं ने शराब की भट्टियां

तोड़ कर ही दम लिया – बार–बार संघर्ष करना पड़ा, पर अब वे अपने गांव–घरों में गुड़ से शराब बनाने के कोढ़ से ही मुक्ति नहीं पा सकी हैं, पतियों की शराब की लत छूटने से उनके घरों में सुख–शांति भी लौट आई है। उनका जगा आत्म–विश्वास आपसी सहकार से अब अन्य समस्याएं भी स्वयं सुलझाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है।

शराबबंदी, अरकबंदी, ताड़ीबंदी की घटनाएं तो देश के हर राज्य में ग्रामीण महिला आंदोलनों की सफलता की ही देन हैं। परदा प्रथा, दहेज प्रथा, महिला–उत्पीड़न, विधवा विवाह, नशा–मुक्ति आदि सभी बुराइयों के निवारण के लिए जब गांव की महिलाएं कमर कस लेती हैं तो सफलता देर–सवेर जरूर उनके हाथ लगती है। गरीबी और ऋण–मुक्ति लेकिन आज भी उनके लिए बड़ी चुनौती है और इससे भी बड़ी चुनौती है, यौन–उत्पीड़न से मुक्ति। गरीबी–उन्मूलन और ऋण–मुक्ति के लिए उन्हें संस्था स्तर पर एक ओर सीमित परिवार के लिए जागरूक बनाना होगा, दूसरी ओर गांव–गांव में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करके बच्चों को बाल–श्रम से और महिलाओं को उनकी कमाई के लालच से मुक्ति दिलानी होगी। और तीसरी ओर सहकारी प्रयत्नों से महिला–रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी होगी। गांव पंचायतें और महिला–संगठन मिल कर यह जिम्मेदारी उठा लें तो जनसंख्या–समस्या और गरीबी–उन्मूलन व ऋण–मुक्ति, दोनों उपाय एक साथ संभव हैं। हां, इस जागृति को सकारात्मक और सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है, हर स्तर पर स्त्री–पुरुष सहयोग, अन्यथा एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, बजेगी तो हाथ दुखेगा, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी।

• ताजा उदाहरण है, मणिपुर के साइमरखुल गांव की महिलाओं का, जहां ओजिट नाम के एक जागरूक किसान ने इम्फाल के 'सेंटर फार सोशल डवलपमेंट' की सहायता से गांव की स्त्रियों को प्रशिक्षित करके गांव–विकास

शराबबंदी, अरकबंदी, ताड़ीबंदी की घटनाएं तो देश के हर राज्य में ग्रामीण महिला आंदोलनों की सफलता की ही देन हैं। परदा प्रथा, दहेज प्रथा, महिला–उत्पीड़न, विधवा विवाह, नशा–मुक्ति आदि सभी बुराइयों के निवारण के लिए जब गांव की महिलाएं कमर कस लेती हैं तो सफलता देर–सवेर जरूर उनके हाथ लगती है।

कार्य में आगे बढ़ाया। ओजिट ने सोचा और स्त्रियों को बताया कि उनकी हिस्सेदारी घर व खेत के काम के अलावा, गांव के विकास में भी बहुत जरूरी है। गांव तभी आगे बढ़ेगा, जब स्त्रियां भी पुरुषों की तरह गांव–समिति की बैठकों में भाग लें। उन्हें बचत का महत्व समझाया गया, 'सेल्फ हेल्प ग्रुप' बनाए गए। शुरू में उन्हें ब्लाक विकास अधिकारी के कार्यालय से ऋण लेने के लिए भारी रिश्वत देनी पड़ी। बाद में समझ आने पर उन्होंने सारे काम अपने हाथ में ले लिए और अपना बचत बैंक खोल कर, घर बैठे रोजगार चलाने लगीं। आज हथकरघा उद्योग के घर–घर में उन्नत स्वरूप से उनकी जिंदगी खुशहाली की राह पा गई है।

ऐसे अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, जहां ग्रामीण स्त्रियों के स्वयं के श्रम–संघर्ष और सहकारी प्रयत्न से उनका सबलीकरण हुआ है। आवश्यक है, ऐसे प्रयत्नों को सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्नों से आगे बढ़ाना और स्त्री–पुरुष सहयोग से उन्हें शोषण–मुक्ति व सफलता की राह पर लाना। आगे की खुशहाली की डगर इसी पगडंडी से होकर खुलेगी। जमीनी सच्चाइयों को पकड़ कर गरीबी–उन्मूलन, नशा–मुक्ति, कुरीति–निवारण, ऋण–मुक्ति, सीमित खुशहाल परिवार, बाल–श्रम मुक्ति आदि देश की वर्तमान अनेक समस्याओं का समाधान महिला सबलीकरण की इस एक राह से ही संभव है।

महिला सशक्तिकरण के इस वर्ष में क्या परियोजना–अधिकारी, पंचायतें, महिला–संगठन इन सभी विषयों को अलग–अलग न मान कर, एक संयुक्त अभियान के रूप में लेंगे? यह संयुक्त लक्ष्य, यह सही दृष्टिकोण और स्त्री–पुरुष सहयोग ही महिला सशक्तिकरण की राह से घर–परिवार और देश–समाज की उन्नति व खुशहाली की गारंटी दे सकेंगे। अन्य कोई प्रतिद्वंदी, अलग–थलग या 'शार्टकट' रास्ता नहीं है। परिवार की धुरी नारी को जागरूक व सशक्त बना कर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है और समाज को सशक्त बना कर ही देश को सशक्त बनाया जा सकता है। ❑

पाठकों से

इस पत्रिका में *पाठकों के विचार* स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

— सम्पादक

बढ़ती साक्षरता का ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

डा. स्वेता मिश्रा*

शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। दुनिया की 70 प्रतिशत अनपढ़ जनता जिन नौ देशों में रहती है, उनमें भारत का भी नाम आता है 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत की 65.38 प्रतिशत आबादी साक्षर है। भारत में साक्षरता की दर अभी भी एशिया की निम्नतर दरों में से है।

महिलाओं के उपेक्षित होने के कारण

हमारे धर्म–शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का स्थान समाज में सर्वोपरि है। इतना ही नहीं बल्कि वे राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती रही हैं। वे अपनी भूमिका के प्रति सचेत होने के बावजूद आज भी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं। इसका मुख्य कारण है – महिलाओं का अशिक्षित होना। अतः अगर हम वास्तव में उन्हें विकास का केन्द्र–बिन्दु बनाना चाहते हैं; तो उन्हें जागरूक तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका और भागीदारी निभानी होगी। साथ ही, उन्हें शिक्षित भी करना होगा। तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है।

जहां तक ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है, उनकी शिक्षा की जरूरत ही नहीं महसूस की जाती। उनको शुरू से ही घर की देख–रेख करने में लगा दिया जाता है, जिसके लिए औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये सब वे अभ्यास द्वारा सीख सकती हैं। अतः ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को शिक्षित करने का कोई सही प्रयास नहीं किया जाता।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 39 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। 6–10 वर्ष की आयु में 39.30 प्रतिशत, 10–13 वर्ष की आयु में 46.60 प्रतिशत, 14–16 वर्ष में 28.97 प्रतिशत तथा 17–19 वर्ष में 12.36 प्रतिशत बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जाती हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि 10–13 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा बालिकाएं स्कूल जाती हैं। परन्तु 14–16 वर्ष तथा 17–19 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कम हो गया। 'भारत में प्राथमिक शिक्षा' की एक रिपोर्ट से

* व्याख्याता, राजनीति शास्त्र विभाग, महाराजा अग्रसेन कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय), पाकेट-IV, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली–110091

पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाओं में से जिनका पहली कक्षा में दाखिला होता है, सिर्फ चालीस पांचवीं कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक, नौ नौवीं कक्षा तक तथा सिर्फ एक बारहवीं कक्षा तक पहुंच पाती है। अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर ही बहुत–सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं और कई परिवारों की बालिकाओं को तो प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। यह स्थिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में ज्यादा देखने को मिलती है।

महिला शिक्षा के प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अशिक्षित होने के कई कारण हैं। जिनमें प्रमुख हैं – गरीबी तथा माता–पिता का अशिक्षित होना, महिला अध्यापिकाओं की कमी, विद्यालयों का दूर स्थित होना, शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी, छोटी उम्र में शादी होना, रूढ़िवादी विचार, लड़का और लड़की में अन्तर इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। 1995 में 'नेशनल प्रोग्राम आफ न्यूट्रीशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन' जो 'दोपहर का भोजन योजना' के नाम से जाना जाता है, शुरू किया गया। यह कार्यक्रम वर्तमान नामांकन, अवधारणा तथा उपस्थिति और साथ–साथ प्राथमिक विद्यालयों के पोषाहार स्तर की देख–भाल द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को लागू करने वाली संस्थाओं, जैसे पंचायत तथा नगरपालिका को इस कार्यक्रम के पहले दिन से दो साल के अन्दर संस्थागत प्रबंध का विकास करना है ताकि पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। अंतरिम काल के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को हर महीने तीन किलो की दर से अनाज दिया जा रहा है, बशर्ते कि उसकी उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत हो। 1995–96 के दौरान, देश के 378 जिलों के 2.25 लाख स्कूलों में 3.35 करोड़ बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया।

अप्रैल 1989 में महिला समाख्या योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को महिला संघ के द्वारा शिक्षा दी गई। महिला संघों में महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी तथा विकास कार्यक्रमों जैसे मुद्दों पर जागरूक बनाया गया है।

1991 में यूनीसेफ की सहायता से बिहार शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना तथा राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। परियोजना का विशेष बल समाज के कमजोर वर्गों, जैसे पिछड़ी जाति तथा महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने पर है। इस परियोजना का प्रबंधन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां हैं : एक शक्तिशाली महिला समाख्या अंग की स्थापना, ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन तथा कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर लागू करने में सामुदायिक भागीदारी और अनौपचारिक शिक्षा को गैर–सरकारी संगठनों द्वारा बढ़ावा देना।

ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाओं में से जिनका पहली कक्षा में दाखिला होता है, सिर्फ चालीस पांचवीं कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक, नौ नौवीं कक्षा तक तथा सिर्फ एक बारहवीं कक्षा तक पहुंच पाती है।

1987–88 में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है : 1) प्रत्येक विद्यालय में दो कक्षा मय बरामदा एवं बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक टायलेट सुविधाएं, 2) दो अध्यापक जिनमें एक महिला अध्यापिका का होना आवश्यक, 3) न्यूनतम मूलभूत ढांचा सम्बन्धी सामग्री जैसे अध्ययन–अध्यापन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकालय की पुस्तकें, फर्नीचर, दरीपट्टी, खेल का सामान, ब्लैक बोर्ड आदि। राजस्थान में आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्रियान्वयन तीन चरणों में क्रमशः वर्ष 1988–89, 1989–90 एवं वर्ष 1990–91 में राज्य की 237 पंचायत समितियों तथा शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में किया गया।

कामकाजी या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। करीब 21 राज्यों जिनमें केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल हैं, में 2.79 लाख के करीब अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं जिनमें करीब 70 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता अभियान 1990 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निर्देशानुसार शुरू किया गया। इस दिशा में लोक जुम्बिश (जन–आंदोलन) शिक्षा कर्मी योजना के प्रयास विशेष उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में अजमेर जिले को हाथ में लिया गया। गत दो वर्षों में अजमेर जिले में साक्षरता अभियान के अंतर्गत 15–40 आयु वर्ग की दो लाख महिलाओं को साक्षर किया गया। अजमेर को उत्तर भारत का प्रथम सम्पूर्ण साक्षर जिला बनने का श्रेय प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के पश्चात् अजमेर जिले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा तीन करोड़ रुपये का उत्तर साक्षरता कार्यक्रम स्वीकृत किया गया, जिसकी क्रियान्विति प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजस्थान के ही डूंगरपुर जिले को जनजाति क्षेत्र का प्रथम साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। डूंगरपुर जिले में 6–40 आयुवर्ग के करीब चार लाख निरक्षरों में से 2.85 लाख निरक्षरों जिनमें लगभग एक लाख महिलाएं शामिल हैं, को साक्षर किया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के फलस्वरूप जिले में गत दो वर्षों के दौरान स्कूलों में बालकों के नामांकन में नौ प्रतिशत तथा बालिकाओं के नामांकन में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य अर्जित कर लेने के बाद डूंगरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा जिले में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को स्कूलों में नामांकित कराया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं को एक–दूसरे से सीखने का मौका देने के लिए 'महिला मंडल योजना' सरकार ने शुरू की है। सरकार एक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति करती है जो ग्रामीण महिलाओं को शिशु–पालन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कानून की शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी देती है। महिलाओं को कृषि तथा

उससे संबंधित कार्यों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लागू किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक और कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आठ राज्यों में 1994 में शुरू किया गया। ये राज्य हैं – असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा। 1996–97 के दौरान इस कार्यक्रम को 13 राज्यों के 120 जिलों में लागू किया गया। विकेन्द्रित प्रबन्ध, समाज की भागीदारी और जिला विशेष की जनसंख्या को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी 85 प्रतिशत लागत केन्द्र वहन करता है और 15 प्रतिशत सम्बद्ध राज्य सरकार। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड संस्थाओं के माध्यम से होता है।

साक्षरता अभियान के साथ–साथ महिलाओं में जागरूकता भी पैदा की जा रही है। गांव के अलावा हर जिले में साक्षरता समितियां भी काम कर रही हैं। कई स्थानों पर तो इन साक्षरता समितियों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। बिहार के कई जिलों में साक्षरता समितियों ने घर–घर में जाकर महिलाओं को साक्षर करने में उल्लेखनीय योगदान किया है।

मध्य प्रदेश में एक जनवरी 1997 को 'मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना' लागू की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी एवं वंचित इलाके के बच्चों, जो कि प्राथमिक शिक्षा से आज तक वंचित थे, को शिक्षा दी जा रही है। इसका क्रियान्वयन पूर्णतः विकेन्द्रीकृत है।

नौवीं योजना के तहत महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात कही गई है, ताकि वे सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में भागीदार बन सकें। नौवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की अधिकारिता को राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

इन कार्यक्रमों/प्रयासों के बावजूद ज्यादातर ग्रामीण बालिकाएं अशिक्षित हैं। इन कार्यक्रमों से यह फायदा तो जरूर हुआ है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों के दाखिले में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में गिरावट आई है।

प्रयास पूरे सफल क्यों नहीं

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार एवं गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की दिशा में अनवरत प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की सफलता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है आखिर क्यों? इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्षों के बाद भी हमारी ग्रामीण जनता की सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। आज भी ग्रामीण समाज में यह देखने को मिलता है कि पुत्र उत्पत्ति पर हर्षोल्लास होता है, बाजे बजते हैं और प्रीतिभोज आयोजित किए जाते हैं, वहीं पुत्री के जन्म से न केवल परिवार में ही मातम छा जाता है बल्कि प्रीति भोज के आकांक्षी लोग भी निराश दिखते हैं। आखिर पुत्र–पुत्री में भेद क्यों?

आज विकास में महिला भागीदारी की बात की जाती है। क्या बिना साक्षरता के महिलाओं की कारगर भागीदारी संभव है? जवाब है बिलकुल नहीं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रतिनिधि एवं अध्यक्ष के लिए स्थान आरक्षित हुए हैं। इस आरक्षण से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में तो सुधार आया ही है साथ ही प्रशिक्षण और अनुभव के बाद, उनकी भागीदारी भी कारगर रही है। महिलाओं में शिक्षा की कछुए वाली चाल की विकास दर के बावजूद भी, इनकी सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि स्थानीय स्तर पर उनके लिए मात्र 33 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। लेकिन जिन राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं कारगर हैं वहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या मात्र 33 प्रतिशत के आंकड़े तक ही सीमित नहीं है बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में तो यह आंकड़ा 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसका तो एक जीता–जागता उदाहरण यह देखने को मिलता है कि आज बिहार की सरकार ने कुंभकरणीय निद्रा से जगने के बाद 21 वर्षों के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार नामांकन भरने में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। इससे बिलकुल स्पष्ट होता है कि शिक्षा का विकास एवं स्थानीय संस्थाओं का मजबूतीकरण तथा श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों जैसे चलचित्र, टी.वी., रेडियो आदि ने ग्रामीण महिलाओं के अन्दर अपने व्यक्तित्व एवं परिवार में दायित्व के प्रति जागरूकता पैदा की है। अतः यह मात्र साधुवाद नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है कि आने वाले वर्षों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अपेक्षित वृद्धि होगी। अब तो वह भी क्षण बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है जिस दिन संसद एवं विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33 प्रतिशत तो होगा ही लेकिन सामाजिक जागरूकता के साथ वृद्धि भी होगी।

ये तो उनकी सामाजिक और राजनैतिक स्थिति की बात है। साक्षरता ने उनके आर्थिक, नैतिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी व्यापक प्रभाव डाला है। आजकल ग्रामीण महिलाएं भी आंकड़ों के मुताबिक परिवार–नियोजन में बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं। वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं क्योंकि और दिन उन्हें भले ही याद न रहे लेकिन खसरे के टीका का दिन उन्हें नहीं भूलता जिस दिन गांव के स्वास्थ्य केन्द्र पर अपने बच्चे को लेकर जाना होता है। गांव में नव–साक्षर महिलाएं खुलकर बाल–विवाह का विरोध करती हैं। साथ ही वह अपने परिवार के पुरुषों का शराब पीने पर विरोध करती हैं। विकास योजनाओं के बारे में समझने लगी हैं और उनका रुझान विकास योजनाओं का लाभ उठाने की तरफ बढ़ा है। गांव की पढ़ी–लिखी लड़कियां अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को भी साक्षर बनाने में अपना योगदान कर रही हैं। आज महिलाएं अपने पति, पुत्र एवं परिवार के अन्य बड़े सदस्यों का ताना सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उन्हें अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का अच्छी तरह बोध हो गया है। ये सब तो शिक्षा का ही परिणाम कहा जा सकता है। हां, अभी इस दिशा में बहुत की अपेक्षा है, और इस दिशा में उठाए गए कदमों के प्रति हम पूर्ण आशावान हैं। ❑

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : एक समीक्षा

राजन मिश्रा*, मंजुला मिश्रा**

ग्रामीण क्षेत्रों की चहुमंखी उपलब्धियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की व्यक्तिगत मर्यादा तथा सम्मान बनाए रखने, गांव के गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने, स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग, बेरोजगारी दूर करने और स्वरोजगारी ग्रामीण कारीगरों को विपणन सहयोग प्रदान करने, सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–स्तर में सुधार लाने, गरीब लोगों के लाभ को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आवास को प्राथमिकता, स्थानीय शासन को मजबूत बनाने तथा लोगों की भागीदारी को संस्थागत रूप देने और महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा प्रभावित होती हैं। अतः समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रमों की शक्तियों व कमजोरियों को ध्यान में रखकर भविष्य की नीतियां तैयार की जाती हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रम में आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम, डवाकरा, सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुओं की योजना को समेकित कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण एवं अनुदान कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत पहली अप्रैल 1999 को हुई। इसमें ऋण प्रमुख तत्व है जब कि अनुदान केवल सहायक तत्व। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से योजना विकास में कुशलता लाने पर जोर देती है जिन्हें ऋण प्रदान किया जाता है उनका मूल्यांकन करके पुनः ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना प्रौद्योगिकी के सुधार को सुनिश्चित करती है। योजना स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन को बढ़ावा देती है। योजना के अंतर्गत अनुदान परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर होगी। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये होगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये होगी। स्वरोजगारियों (स्व–सहायता समूहों) के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि सिंचाई की योजना पर अनुदान की कोई सीमा नही होगी। योजना में ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी तरह लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनु. जनजातियों, 40 प्रतिशत महिलाओं और तीन प्रतिशत विकलांगों का होना आवश्यक बनाया गया है। इस योजना पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है। नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के काम में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों पी.आर. आई., गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ जिला के तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाता है। इस योजना पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना में धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है। राज्यों के निर्धारित केन्द्रीय आवंटन का विवरण राज्यों में गरीबी के आधार पर किया जाता है। लेकिन वर्ष के दौरान धन के उपयोग की क्षमता और विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य भारी संख्या में सक्षम उद्यमियों को बढ़ावा देना है तथा ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय को बढ़ाना तथा बुनियादी स्तर पर लोगों की स्थानीय जरूरतों व संसाधनों को सुगमता प्रदान करना है। इस योजना द्वारा प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। अगले पांच वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। विशेष ध्यान यह दिया गया कि गुणवत्ता में कोई गिरावट न आए तथा अधिकांश पंचायतों को इस योजना में शामिल किया जाए। वास्तव में यह योजना समूह दृष्टिकोण पर बल देती है। प्रत्येक स्व–सहायता समूह में महिलाओं को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। समूह की गतिविधि को प्राथमिकता दी जाएगी और स्व–सहायता समूह के लिए उत्तरोक्त अधिकांश धन की व्यवस्था की जाएगी।

वर्ष 2001–2002 के बजट में इस योजना के लिए पांच अरब रुपये निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों की सामान्य तौर पर रोजगार बढ़ाने व गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी रखता है। निगरानी करने वाली योजना में केन्द्र व राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रगति रिपोर्ट, वित्तीय रिटर्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट, गहन निरीक्षण आदि विभिन्न व्यवस्थाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुने हुए कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था भी आरम्भ कर दी है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य की नीति निर्धारित की जा सकेगी। ❑

* राजन मिश्रा प्रवक्ता – समाजशास्त्र एस.आर.के. (पी.जी.) कालेज, फिरोजाबाद
** मंजुला मिश्रा प्रवक्ता–शिक्षा विभाग – दाउदयाल महिला महाविद्यालय, फिरोजबाद

मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था

(वैधानिक प्रावधान एवं व्यावहारिक स्थिति)

डा. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

यद्यपि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एवं मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, जो कि 73वें संविधान के अनुरुप बनाया गया, आदिवासी समुदाय को पंचायत व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान प्रदान करता था परन्तु फिर भी यह विधान आदिवासी समुदाय को अपने गृह क्षेत्र में सामाजिक–राजनीतिक मामलों का नियंता नहीं बना पाया था। यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढांचा आदिवासियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं आदिवासी संस्थाओं, जिनसे कि यह लोग सदियों से जुड़े हैं, के अनुरूप होना चाहिए।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1993) पंचायती राज व्यवस्था की अब तक की यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप राज्य का पंचायत विधान बनाया तथा उसका परिपालन किया। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जिसके अनुसार ग्राम, जनपद एवं जिला स्तर पर उनकी आबादी के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है।

यद्यपि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एवं मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, जो कि 73वें संविधान के अनुरूप बनाया गया, आदिवासी समुदाय को पंचायत व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान प्रदान करता था परन्तु फिर भी यह विधान आदिवासी समुदाय को अपने गृह क्षेत्र में सामाजिक–राजनीतिक मामलों का नियंता नहीं बना पाया था। यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढांचा आदिवासियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं आदिवासी संस्थाओं, जिनसे कि यह लोग सदियों से जुड़े हैं, के अनुरूप होना चाहिए। इनमें से कई क्षेत्रों का दीर्घ काल तक आदिवासियों ने अपने से ही स्वतन्त्रापूर्वक प्रबंध किया है। उदाहरणार्थ – जल, जंगल एवं जमीन का प्रबंधन। वर्तमान में इन सभी का प्रबंधन अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इन परम्परागत अधिकारों को प्राप्त करने हेतु असंतोष के स्वरों ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्व–शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने के साथ ही आदिवासियों की परम्पराओं, रीति–रिवाजों एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर बल दिया।

आदिवासी समुदाय की इस आवश्यकता एवं मांग के परिणामतः भारत सरकार ने जून 1994 में श्री दिलीपसिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 सदस्यों की एक समिति गठित की। इस उच्च स्तरीय समिति के गठन का उद्देश्य 'भारतीय संविधान के अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बंधित भाग IX के प्रावधानों की समीक्षा करना तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों की मुख्य विशेषताओं पर सुझाव प्रस्तुत करना था।' तत्कालीन केन्द्र सरकार ने भूरिया समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया जिसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात राज्यों को भेजा गया। तदनुसार मध्य प्रदेश में 'मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997' पारित हुआ। यह अधिनियम 5 दिसम्बर, 1997 से राज्य में लागू हुआ।

मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन), 1997 के तहत विशेष प्रावधान

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के अधिकारों की पुनर्व्याख्या हेतु मध्य प्रदेश पंचायत राज विधान में मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के माध्यम से एक अध्याय 14 क जोड़ा गया है जिसमें ग्राम सभा की रचना, ग्राम पंचायत, अनुसूचित

जनजाति स्थानों के आरक्षण की विधि के साथ अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतीराज संस्थाओं के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

इन पंचायतों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के पठन से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य क्षेत्रों की पंचायतों से अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में ग्राम सभा की विशेषीकृत स्थिति है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को कुछ विशिष्ट अधिकार एवं कर्त्तव्य प्रदान किए गए हैं जो कि आदिवासी लोगों और समुदाय की प्रकृति के अनुरूप हैं। ऐसे प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या अग्रानुसार है।

संस्थागत ढांचा एवं कार्य : अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन एवं उसके अधिकारों की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्नता है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर है। इसका गठन ग्राम स्तर की मतदाता सूची में अंकित सदस्यों के नामों के आधार पर होता है। आदिवासी क्षेत्रों की बसाहट बहुत फैली हुई होती है तथा यह फलियों/पुरवों/खेड़ों में विभक्त रहती है। अतः इन क्षेत्रों हेतु यह प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा का परिसीमन इस तरह से हो जिसमें एक फलिया अथवा फलियों का समूह सम्मिलित किया जाए जो कि समुदाय की परम्पराओं एवं रीति रिवाजों के अनुरूप विभिन्न मसलों का प्रबंधन कर सके। सामान्यतः प्रत्येग गांव की एक ग्राम सभा होनी चाहिए लेकिन यदि ग्राम सभा के सदस्य चाहें तो एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन एक फलिये अथवा फलियों के समूह की बसाहट के आधार पर कर सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति आवश्यक है। इस एक तिहाई में से कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना भी आवश्यक है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करेगा जिसे इस उद्देश्य के लिए उपस्थित लोगों के बहुमत द्वारा चुना जाए। अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में उनकी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में होगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का पद सभी जगह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होगा। यदि किसी कारण से अनुसूचित क्षेत्र की जनपद या जिला पंचायत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नामांकित कर सकती है। लेकिन ऐसे नामांकित सदस्यों की संख्या ऐसी पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए इतनी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

(अ) ग्राम सभा की शक्तियां

(i) परम्पराओं तथा रूढ़ियों, लोगों की सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकारण के परम्परागत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना;

(ii) समस्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कार्यों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित किए गए हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना;

(iii) ग्राम के क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल, तथा वन आते हैं, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप प्रबन्ध करना;

(iv) ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना;

(v) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का, जिनमें पशुमेला सम्मिलित हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना;

(vi) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(vii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों को करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे।

(ब) ग्राम पंचायत की शक्तियां

इस अधिनियम के तहत किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात –

(i) ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों और उसके प्रस्तावों को कार्यान्वित करना;

(ii) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, प्रबंध करना;

(iii) अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित जल क्षेत्र के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(iv) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक लघु जलाशयों को मछली पकड़ने तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर देना;

(v) सिंचाई के प्रयोजन के लिए नदियों, जलधाराओं, लघु जलाशयों के जल के उपयोग को विनियमित करना;

(vi) सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायतों को अंतरित किए गए हैं, नियंत्रण रखना;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे।

(स) जनपद एवं जिला पंचायत की शक्तियां

अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त होंगी,

(i) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(ii) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अन्तरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियन्त्रण रखना;

(iii) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर

नियंत्रण रखना; और

(iv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे।

पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि विशेषीकृत अधिकारों का लाभार्थी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को बनाया है उसका कुछ हिस्सा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को भी प्रदान किया गया है। ग्राम सभा की विशिष्ट स्थिति इसको विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बनाती है।

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों की महत्ता

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को प्रदत्त विशेष प्रावधानों की क्या महत्ता है इसके अध्ययन की आवश्यकता है विशेषतः ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के प्रावधानों की व्याख्या करने की जरूरत है।

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में ऐसी पृथक व्यवस्था का मूल कारण आदिवासी समुदाय की पृथकता को बनाये रखना है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997, के माध्यम से सम्भव हुई है जो कि केन्द्र के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 पर आधारित है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतें एक तरफ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का लाभ लेंगी वहीं दूसरी ओर वे अपनी सांस्कृतिक एकता, परम्परा एवं रूढ़ियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में भी सफल होंगी।

भारत में पिछले 40–50 वर्षों का आदिवासी समाज का इतिहास यह दर्शाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों ने वनों एवं अन्य संसाधनों पर अपना अधिकार खोया है। आदिवासियों के इन संसाधनों को उनसे भूमि हस्तान्तरण अधिनियम, खनिज कर्म कानून, वन अधिनियम एवं वन्यजीव अधिनियम आदि के माध्यम से सरकारी हाथों में ले लिया गया था। मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 में धारा 129 {(ग) (तीन)} द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को यह शक्ति पुनः प्रदान की कि वह 'ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरुप और उस समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबंध करना'। इससे यह स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों को एक बार पुनः अपने परम्परागत संसाधनों के प्रबंधन की शक्ति प्राप्त हुई है।

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों का गठन एवं उनको प्रदत्त शक्तियां और कृत्य इस तरह की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र का द्योतक है। इसके अतिरिक्त, पंचायतों को प्रदत्त विशेष प्रावधान सामाजिक–आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के अवसर प्रदान करते हैं। गरीबी, अशिक्षा एवं अस्वास्थ्य की स्थितियों को बदलने के लिए भी इन्हें अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की शक्तियों एवं कृत्यों की सूची से यह स्पष्ट होता है कि इन संस्थाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल कल्याण, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं महिला विकास जैसे विषयों पर कार्य करने के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रारम्भ से ही पंचायत प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों के मध्य सम्बंध एक ज्वलंत समस्या रही है। पंचायत व्यवस्था की असफलता के लिए प्रायः दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करते आये हैं। नौकरशाह जनप्रतिनिधियों पर अनभिज्ञता और अज्ञानता का दोष लगाते हैं वहीं जनप्रतिनिधि नौकरशाहों पर असहयोग एवं उनके हाथ से सत्ता जाने के भय को पंचायती राज की असफलता का कारण बताते हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को सामान्य अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 129 (ग) (दो) तथा 129 (ड) (चार) द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को सामाजिक सेक्टरों से सम्बंधित संस्थाओं एवं पदाधिकारियों के नियन्त्रण की शक्ति प्रदान की गई है।

व्यावहारिक पक्ष

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष को समझने की दृष्टि से जनवरी, 2001 में झाबुआ जिले की चयनित ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों का एक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार किया गया। सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण आगतों का विश्लेषण इस प्रकार है :

ग्राम सभा

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था हेतु किए गए उपबंधों के माध्यम से ग्राम सभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं नियामक इकाई बनाया गया है। ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाने, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण एवं प्रबंधन करने, जनजातीय उपयोजनाओं के नियन्त्रण एवं निरीक्षण जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सभा को दिए गए हैं।

गणपूर्ति : ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में चार बार होना चाहिए लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जन प्रतिनिधियों के अधिकांश सदस्यों को भी ग्राम सभा की बैठकों की संख्या की जानकारी नहीं है। ग्राम सभा में गणपूर्ति सर्वव्याप्त समस्या है। इस सन्दर्भ में जनजातीय क्षेत्रों में एक तिहाई संख्या को गणपूर्ति हेतु आवश्यक बनाया गया है। बहुत ही न्यून प्रतिशत जनप्रतिनिधियों का ऐसा है जो इस बात को जानता है। महिलाओं की आवश्यक उपस्थिति जानने वालों का प्रतिशत उससे भी कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गांव की अपनी एक ग्राम सभा होगी। इस बात की जानकारी जनप्रतिनिधियों के बहुत बड़े प्रतिशत को नहीं है। ऐसी ग्राम सभाओं की अध्यक्षता गांव का ऐसा व्यक्ति करेगा जो ऐसे उद्देश्य के लिए बहुमत द्वारा चुना जाए पर सामान्य तौर से यह अनुभव किया गया है कि सरपंच ही ऐसी सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

ग्राम सभा के माहौल पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतया उपस्थिति कम रहती है। जनजातीय क्षेत्रों में उपस्थित सदस्य विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करते

हैं अपने प्रस्ताव रखते हैं जो विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिए सुखद संकेत हैं। ग्राम सभा की बैठकों में कम उपस्थिति के कारणों पर प्रकाश डाला जाए तो यह मूलतः लोगों की कृषि/मजदूरी के कार्यों में व्यस्तता के कारण होती है। जनजातीय सन्दर्भों में पलायन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सूचना का अभाव, लाभ नहीं मिलना, गुटबाजी, बिखरी बसाहट जैसे अन्य उल्लेखनीय कारण हैं।

जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात की जानकारी बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों को है।

प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन : जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों हेतु किए गए प्रावधानों में प्राकृतिक स्रोतों (जन, जंगल एवं जमीन) के प्रबंध की जिम्मेदारी ग्रामसभा को सौंपी गई है। इस बारे में लगभग एक तिहाई पंचायत प्रतिनिधि ही ऐसे थे जिनकों इस बात की जानकारी थी कि प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है। जनजातीय क्षेत्रों में जलग्रहण मिशन कार्य कर रहे हैं। इस सम्पूर्ण अभियान को ज्यादा सार्थक और परिणामदायक बनाने हेतु वृहद स्तर पर ग्राम सभाओं की स्तरीय भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे हर गांव में बेहतर जल प्रबंधन हो सके, पुनर्वतीकरण हो सके, आजीविका के साधन बढ़ाये जा सकें और पलायन की स्थिति पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सके।

परम्पराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण : ग्राम सभा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह भी सौंपी गई है कि व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रुढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों को निराकरण के रुढ़िगत ढंग को सुरक्षित एवं संरक्षित करना। ग्रामसभा की इस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लगभग आधे जनप्रतिनिधियों को जानकारी है। इस दिशा में पंचायतें ग्रामसभा से मिलकर कुछ कार्य कर रही हैं यथा – झगड़ों का स्थानीय स्तर पर निराकरण और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना।

इस दृष्टि से एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि जिन पंचायतों में गांवों की परम्परागत जाति पंचायत के तड़वी/पटेल निर्वाचित होकर आए हैं वे पंचायतें इस दिशा में ज्यादा सार्थक भमिका निभा पा रही हैं।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे निम्नतम स्तर की इकाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की सीधी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायत में स्वशासन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते हैं।

ग्रामपंचायत की बैठक : जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की भूमिका ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन प्रतिमाह होता है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के लगभग दो तिहाई सदस्यों को इस बात की जानकारी थी। लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं। जो लोग पंचायत की बैठकों में नियमित भाग नहीं लेते हैं उन्होंने इसके लिए कृषि कार्य/मजदूरी/घरेलू कार्य में व्यस्तता, अशिक्षा/जानकारी का अभाव जैसे कारण बताए।

पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होती है। गांवों की विविध समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रतिनिधियों में से कुछ का यह भी कहना है कि केवल औपचारिकता का निर्वहन होता है। ग्राम पंचायत की बैठकों में निर्णय दो तिहाई उत्तरदाताओं के अनुसार बहुमत के आधार पर लिया जाता है। लगभग एक चौथाई उत्तरदाता मानते हैं कि निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।

गांव की प्रमुख समस्याएं : पंचायत प्रतिनिधियों ने गांव की समस्याओं में सर्वाधिक प्रमुख समस्या पेयजल की बतायी। अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित क्रियान्वयन, सड़क, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधा, आवश्यक भवनों का निर्माण एवं मरम्मत, स्वच्छता, विद्युतीकरण आदि उल्लेखनीय हैं।

पंचायत को कार्य करने में आने वाली बाधाएं : पंचायतों द्वारा कार्य करने में आने वाली प्रमुख बाधाएं – वित्त का अभाव, अशिक्षा के कारण कानूनी प्रावधानों की असमझ, सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का असहयोगात्मक रवैया, गांव में विद्यमान गुटबाजी, अन्य सदस्यों का असहयोग एवं भ्रष्टाचार बताए गए।

शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन: सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रों एवं वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन स्वतन्त्रता के पश्चात से ही शुरू कर दिया गया। कल्याणकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है।

कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम स्तर पर विकास खण्डों के माध्यम से शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता रहा है। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर बने नवीन पंचायतीराज में मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाओं हेतु लाभार्थियों के चयन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किया गया है।

ग्राम पंचायतों की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका है। शासकीय योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन ग्रामसभा द्वारा होना चाहिए। लगभग दो तिहाई उत्तरदाता मानते हैं कि ऐसा होता है वहीं लगभग एक तिहाई का मानना है कि यह कार्य सरपंच द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण विकास से सम्बंधित विभागों के अधिकारों का प्रत्यायोजन : लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को सही अर्थों में निचले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विशेष कार्यों वाले विविध विभागों के विभिन्न अधिकार पंचायतों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। प्रत्यायोजन के माध्यम से पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं दायित्व दिए गए हैं जिससे जनप्रतिनिधियों की विकास की प्रक्रिया में सीधी भागीदारी हो तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

पंचायतों को ग्रामीण विकास के विभिन्न विभागों के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। तीन चौथाई पंचायत प्रतिनिधि इस तथ्य को जानते हैं। जो विभाग पंचायत प्रतिनिधियों ने इस दृष्टि से बताए हैं वे हैं – शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और महिला एवं बाल विकास। प्रत्यायोजित अधिकारों के निर्वहन हेतु पंचायत प्रतिनिधि ऐसे विभागों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, सम्बंधित अधिकारियों से मिलते हैं और एक उल्लेखनीय प्रतिशत यह भी कहता है कि कोई निर्वहन नहीं करते हैं।

पंचायतों द्वारा सम्पादित कार्य : ग्रामीण विकास एक बहुआयामी गतिविधि है। इसी आधार पर पंचायतों के कार्य भी विविधता पूर्ण हैं। पंचायत विधान में अनुसूची 4 के माध्यम से इन कार्यों की सूची दी गई है। इसी के साथ तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन करते हुए विधान में कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। वस्तुतः कार्यों की प्रकृति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह समग्र विकास की अवधारण पर आधारित है।

सर्वेक्षित पंचायतों द्वारा सम्पादित कार्यों में पेयजल, सड़क, सिंचाई सुविधा, शासकीय योजनाओं का लाभ, विद्युतीकरण, शिक्षा सुविधा, आवश्यक भवनों का निर्माण एवं मरम्मत उल्लेखनीय है।

जनजातीय समुदाय का विकास : जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए शिक्षा, शासकीय योजनाओं का लाभ एवं जागरुकता फैलाने का कार्य किया वहीं लगभग आधे उत्तरदाता ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि कोई कार्य नहीं किया गया है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति : वित्त एवं संसाधन किसी भी व्यवस्था की सफलता में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों की पंचायतों के लिए वित्त के प्रमुख स्रोत शासन द्वारा अनुदान एवं राजस्व का संग्रहण है। पंचायतों को विभिन्न तरह के करों के उद्ग्रहण एवं खर्च के अधिकार राज्य शासन ने हस्तांतरित किए हैं। इसी के साथ राज्य शासन द्वारा विभिन्न मदों की राशि, जिनका खर्च ग्रामीण विकास के कार्यों में किया जाना है, तीनों स्तरों की पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है।

पंचायतों की वित्तीय सक्षमता हेतु राज्य शासन ने लगातार प्रयास किए हैं। राज्य शासन ने विधान में प्रावधान कर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कई नए करों को लगाने के अधिकार दिये हैं। राज्य शासन ने नवीन पंचायत राज व्यवस्था के गठन के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन किया।

वित्तीय दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों की स्थिति भिन्न है। यहां शासकीय अनुदान और सहयोग ही वित्तीय स्रोत हैं। स्थानीय राजस्व संग्रहण एवं करारोपण की दृष्टि से पंचायतों ने कोई प्रयास नहीं किए हैं। अधिकांश पंचायत प्रतिनिधि पंचायत की वित्तीय स्थिति को सामान्य मानते हैं।

निष्कर्ष

अन्ततः अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था की व्यावहारिक स्थिति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि ग्राम सभाओं में गणपूर्ति एक बड़ी समस्या है। ग्रामीणों की ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समझ का स्तर बहुत निम्न है। प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंधन हेतु किए गए प्रावधानों के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीणों की इस दिशा में सहभागिता बहुल उल्लेखनीय नहीं दिखाई देती है। परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के संरक्षण में कुछ पंचायतें आगे आई हैं।

ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थिति संतोषजनक रहती है। विभिन्न प्रस्तावों पर सदस्य विचार विमर्श करते हैं। गांव अभी भी पेयजल एवं अन्य मूलभूत समस्याओं से ग्रस्त हैं। कार्य करने में आने वाली प्रमुख बाधाओं में वित्त का अभाव है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतें भूमिका निभा रही हैं। पंचायत को ग्रामीण विकास से सम्बंधित विभागों के प्रत्यायोजित अधिकारों की जानकारी है। पंचायतें वित्त की दृष्टि से पूरी तरह शासकीय अनुदान पर निर्भर हैं।

उक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों हेतु जो विशिष्ट उपबंध किए गए हैं और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है उसका पूरा लाभ मिलने में समय लगेगा। अशिक्षा, गरीबी, जानकारी का अभाव, कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे कारण इस वर्ग को अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। शनैः शनैः जनजातीय समुदाय इस नई व्यवस्था को समझ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर, जन संचार माध्यमों पर ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित कर जन–जागरुकता फैलाए जाने की आवश्यकता है जिससे जनजातीय क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों में यह समझ विकसित हो सके कि ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत की गांव के उन्नयन में क्या भूमिका है? इस भूमिका के निर्वहन हेतु उन्हें क्या करना है? अधिकतम जनभागीदारी से यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय वर्ग विकास की मुख्य धारा में अपनी स्थिति को सुनिश्चित कर सकेगा। ❑

संदर्भ

जोशी, आर.पी. (सं.), कान्स्टीट्यूशनलाइजेशन आफ पंचायती राज : ए रीएसेसमेंट, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 1998.

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993.

मध्य प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1997.

मध्य प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997.

मैथ्यू, जार्ज, पंचायती राज : प्रफाम लेजिस्लेशन टू मूवमेण्ट, कंसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1994.

पलनीथुरई, जी (सं), मेजर इश्यूज इन न्यू पंचायती राज सिस्टम, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997.

सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 : एक अध्ययन, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, 1997.

मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था : समस्याएं एवं सम्भावनाएं, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, 1998.

पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000.

पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता

डा. विपिन्द्र कुमार सोनी

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के स्वरूप कई राज्यों में पंचायती राज अधिनियम 1993 का दूसरा चरण शुरू हो गया तो कई राज्यों में पहला चरण समाप्त और द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत कई जन–प्रतिनिधि विशेषकर महिलाएं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए पंचायतों को नए अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अवसर तो प्राप्त हुआ है, किंतु अपने क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए कुशल नेतृत्व आवश्यक है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रतिनिधि संवेदनशील हों।

पंचायतों में आने के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं है, मगर पंचायतों के कार्यों को समझने और चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता

को कोई कैसे नकार सकता है? नव–निर्वाचित प्रतिनिधि अशिक्षित या नहीं के बराबर शिक्षित हैं। अध्ययन में पाया गया है कि पंचायतों के काम–काज के बारे में महिला और पुरुष पंचों तथा सरपंचों की जानकारी बेहद कम है। अधिकतर प्रतिनिधियों को पंचायती राज के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अध्ययन में पाया गया है कि महिला एवं पुरुष प्रतिनिधियों में ग्राम विकास का नजरिया एक समान है। विकास का अर्थ सभी निर्माण कार्यों से लेते हैं। पंचायतों की प्राथमिकताएं सड़कों और भवनों की संरचना के स्वरूप में रहती हैं। जनता अर्थात् मानवीय विकास उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है।

73वें संविधान संशोधन से पंचायतों में महिलाओं सहित सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से यह अपेक्षा की गई है कि समुचित ग्रामीण विकास होना चाहिए। परंतु समुचित ग्रामीण विकास इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के दायित्वों और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर होता है।

शोध–विधि

पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता का अध्ययन इन्दौर जिले के महू विकासखण्ड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया है।

महू विकासखण्ड की समस्त पंचायतों (69) के महिला एवं पुरुष प्रतिनिधि (पंच) अध्ययन के समग्र हैं। पंच प्रतिनिधि अध्ययन की इकाई थी।

प्रतिदर्श का आकार और पद्धति

कुल 629 प्रतिनिधियों (महिला 312 एवं पुरुष 317) पर अध्ययन किया गया। महिला पंच प्रतिनिधियों का चयन जनगणना पद्धति द्वारा किया गया तथा पुरुष पंच प्रतिनिधियों का चयन प्रत्येक पंचायत की महिला पंच प्रतिनिधियों के अनुपात में, स्तरित प्रतिदर्श प्रणाली की असानुपातिक स्तरित प्रतिदर्श पद्धति द्वारा किया गया है।

उपकरण

पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता को मापने के लिए परीक्षण के लिए पैमाना बनाया गया था। इस पैमाने में 26 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जो पंचायत प्रतिनिधियों के अपने वार्ड/क्षेत्र की समस्याओं के प्रति व्यापक अनुभूति, प्रतिनिधि होने के दायित्व का निर्वहन, मानवीय–विकास तथा कमजोर वर्गों के हित संरक्षण करने के प्रति जागरूकता तथा सहयोग करने से संबंधित थे।

सांख्यिकीय विश्लेषण

समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता के परीक्षण पैमाने में कुल 26 प्रश्नों को शामिल किया गया जिसमें प्रत्येक प्रश्न के संबंधित तथ्यों के उत्तर तीन गुणांकित वर्ग में लिए गए, जिन्हें गुणांकित मूल्य प्रदान किया गया था। संबंधित तथ्यों को न्यूनतम–1 और उच्चतम 3 अंक प्रदान किए गए थे। प्राप्त अंकों को तीन वर्ग समूह स्तर में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्यम और उच्च। 64–78 अंक प्राप्त करने वाले प्रतिनिधियों को समस्याओं/दायित्वों के प्रति सवंदेनशील हेतु 'उच्च', 50–63 अंक प्राप्त करने वालों को 'मध्यम' और 26–49 अंक प्राप्त करने वाले प्रतिनिधियों को 'निम्न' संवेदनशील स्तर में रखा गया है।

प्राप्त आवृत्तियों को प्रतिशत आधार पर दर्शाते हुए काई वर्ग मूल्य ज्ञात किया गया है। यह अध्ययन महिला एवं पुरुष, अनुसूचित तथा गैर–अनुसूचित जाति वर्ग और युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के प्रतिनिधियों के संदर्भ में किया गया है।

समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में महिला एवं पुरुष प्रतिनिधियों के संदर्भ में तालिका से स्पष्ट है कि 'उच्च संवेदनशील' स्तर महिला प्रतिनिधियों में 0.32 प्रतिशत, जबकि पुरुष प्रतिनिधियों में 4.42 प्रतिशत है, मध्यम संवेदनशीलता में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 4.17 है जबकि पुरुष प्रतिनिधियों का 26.81 प्रतिशत है, तथा निम्न संवेदनशीलता स्तर में महिलाओं का प्रतिशत 95.51 है जबकि पुरुषों का 68.77 प्रतिशत है। कई वर्ग मूल्य 204.02 है जो 0.01 स्तर पर अंतर सार्थक पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि समस्याओं/दायित्वों के प्रति सवंदनशीलता में महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिनिधि अधिक संवेदनशील पाए गए हैं। महिलाओं में कम संवेदनशीलता का कारण शिक्षा की कमी, पारिवारिक तथा सामाजिक बंधन प्रमुख हैं।

अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के संदर्भ में तालिका से स्पष्ट है कि उच्च संवेदनशीलता स्तर वाले अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधि 1.20 प्रतिश है जबकि गैर–अनुसूचित वर्ग के 16.61 प्रतिशत हैं। मध्यम संवेदनशीलता के संबंध में अनुसूचित वर्ग एवं गैर–अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्रमशः 14.67 व 16.61 प्रतिशत है। निम्न संवेदनशीलता में अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रतिशत 84.13 है जबकि गैर अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधियों में 79.66 प्रतिशत पाया गया। अतः स्पष्ट है कि समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता में अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधियों में

तालिका
समस्याओं / दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता

पंचायत प्रतिनिधि		संवेदनशीलता का स्तर			
		उच्च	मध्यम	निम्न	योग N
महिला	f	01	13	298	312
	%	(0.32)	(4.17)	(95.91)	(100)
पुरुष	f	14	85	218	317
	%	(4.42)	(26.81)	(68.77)	(100)
काई स्क्वायर = 204.02 स्वातंत्रय सीमा = 2, 0.01 सम्भाव्यता स्तर पर सार्थक					
अनुसूचित वर्ग	f	04	49	281	334
	%	(1.20)	(14.67)	(84.13)	(100)
गैर–अनुसूचित वर्ग	f	11	49	235	295
	%	(2.38)	(16.61)	(79.66)	(100)
काई स्क्वायर = 4.96 स्वातंत्रय सीमा = 2, 0.05 सम्भाव्यता स्तर पर सार्थक					
योग	f	15	98	516	629
	%	(2.38)	(15.58)	(82.04)	(100)
युवा (35 वर्ष तक)	f	07	41	187	235
	%	(2.38)	(17.45)	(79.57)	(100)
प्रौढ़ (36–50 वर्ष तक)	f	03	41	261	305
	%	(0.98)	(13.44)	(85.58)	(100)
काई स्क्वायर = 4.62 स्वातंत्रय सीमा = 2, 0.05 सम्भाव्यता स्तर पर सार्थक					
योग	f	10	82	448	540
	%	(1.85)	(15.19)	(82.96)	(100)

f = आवृत्ति, % = प्रतिशत, N = प्रतिदर्श

कोई ज्यादा अंतर नहीं है।

युवा एवं प्रौढ़ प्रतिनिधियों के संदर्भ में तालिका से स्पष्ट है कि उच्च संवेदनशीलता स्तर वाले युवा प्रतिनिधि 2.98 प्रतिशत हैं, जबकि प्रौढ़ प्रतिनिधि 0.98 प्रतिशत है, मध्यम संवेदनशीलता स्तर में युवा प्रतिनिधि 17.45 प्रतिशत हैं जबकि प्रौढ़ प्रतिनिधि 13.44 प्रतिशत हैं, निम्न संवेदनशीलता स्तर में युवा प्रतिनिधि 79.57 प्रतिशत हैं, जबकि प्रौढ़ प्रतिनिधि 85.58 प्रतिशत हैं।

अतः तालिका द्वारा स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों में समस्याओं / दायित्वों के प्रति निम्न संवेदनशीलता काफी अधिक है, इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंचायत प्रतिनिधि अपने वार्ड / क्षेत्र की समस्याओं / दायित्वों के प्रति अभी पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं।

निम्न संवेदनशीलता के कारण

- शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव।
- महिला प्रतिनिधियों पर पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक बंधन।
- पंचायतों में दलबंदी का होना।
- प्रतिनिधि द्वारा स्वयं प्रतिनिधित्व न करके पति / परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व करना।
- केवल वस्तुगत विकास को ही विकास मानना।
- आरक्षण के फलस्वरूप प्रथम बार प्रतिनिधित्व का प्राप्त होना।

सुझाव

- पंचायत प्रतिनिधियों में विशेषकर महिलाएं एवं कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों में समस्याओं / दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- पंचायत प्रतिनिधियों को वस्तुगत विकास के साथ ही मानवीय–विकास करने के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- प्रतिनिधियों को, विशेषकर महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों को उनके कर्त्तव्यों तथा दायित्वों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे वे पंचायतों की बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदारी करें और बैठकों में अपने विचार रखें।
- महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें भत्ते दिए जाने का प्रावधान किया जाए। जिससे वे पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकें तथा भाग लेने हेतु प्रेरित हों।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों को पार्टी / दलबंदी से ऊपर उठकर ग्राम–विकास के काम करने के लिए प्रेरित किया जाए।

संदर्भ–सूची

दास अनिता : पंच, सरपंच एवं ग्राम सचिव का प्रशिक्षण (मेन्युएल) यूनिसेफ, भोपाल।

श्री वल्लभ शरण : "पंचायतों में महिलाएं जरूरत है, सक्रिय भूमिका की" कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 1998

Sharma Kamlesh : Women in Panchayats of Madhya Pradesh, Kurukshetra, March - 1999, pp-33-35

मुकर्जी रविन्द्रनाथ : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली–1990

श्रद्धांजलि

महेश चन्द्र जोशी

रमाकान्त जी से मेरा कोई पुराना परिचय न था। पर पांच–छः माह पूर्व जब मुझे, उनसे मिलना पड़ा तो लगा जैसे उनका मेरे से बहुत पुराना सम्बन्ध है।

दरअसल मैं एक लम्बे अर्से से अपने जोड़ों के दर्द से पीड़ित था। करीब एक वर्ष से शहर के कुछ विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सकों से इलाज भी करवा चुका था। लेकिन कोई विशेष लाभ न मिला। आखिर कुछ परिचितों की सलाह पर मैं एक शाम रमाकान्त जी के प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र जा पहुंचा। वह बन्द मिला। समझ में ना आया कि इतनी दूर पीड़ा भोगता हुआ, जैसे–तैसे आ तो गया, अब क्या करूं? ..... कहां जाऊं वह भी इस गर्मी में? इस दर्द में?..... खड़ा रहना भी कठिन लग रहा है।...... पता नहीं कब तक खुलेगा यह चिकित्सा केन्द्र? ...... सोचते–सोचते अचानक मेरी दृष्टि चिकित्सा केन्द्र के मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड पर पुनः पड़ी, जिस पर लिखे छोटे अक्षरों से मुझे ज्ञात हुआ कि वह शाम पांच बजे खुलेगा। घड़ी देखी तो लगा कि चिकित्सा केन्द्र खुलने में करीब आधा घंटा शेष है।....... इस वीराने में इतना समय कहां कटेगा? कैसे कटेगा?...... सोचते–सोचते मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। कुछ क्षणों पश्चात् ही मुझे कुछ दूरी पर एक छोटी–सी दुकान नज़र आ गयी। मैंने राहत की सांस ली। सोचा वहीं कुछ ठंडा या गर्म पीने के बहाने कुछ देर बैठा जाए, नहीं तो पैरों के बढ़ते दर्द से ना तो अब ज्यादा चला ही जा सकता है। ना खड़े रहने की सामर्थ्य ही है......।

मैं साहस बटोर कर तनिक कठिनाई से उस दुकान तक पहुंचा।

"क्या चाहिए?" दुकानदार के प्रश्न से मैं फिर परेशानी में पड़ गया। उस किराने की मामूली–सी दुकान में मुझे उस समय अपने मतलब की कोई चीज ही नज़र नहीं आ रही थी।

"बोलो?" दुकानदार का तनिक झुंझलाया स्वर था।

कुछ पल खामोश रहकर मेरा कराहता–सा स्वर उभरा – "प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र आया था।..... पर अभी तो इसके खुलने में कुछ देर लगेगी....।"

"ठीक पांच बजे खुल जायेगा।"

"कुछ पीने–पाने को होता तो कुछ देर यहीं.......।"

"रमाकान्त जी को घर पर क्यों नहीं दिखलाते। उनका दरबार मरीजों के लिए तो चौबीसों घंटे खुला रहता है।"

"घर......घर पर देख लेंगे वे?"

"अभी मैंने क्या कहा?" दुकानदार फिर झुंझलाया।

"कहां है उनका घर?"

"चिकित्सा केन्द्र से चिपटा ही तो मकान है उनका।"

"धन्यवाद। बहुत–बहुत धन्यवाद।" कहकर मैं कठिनाई से वापिस मुड़ा। कुछ दूर चलकर बताए गए मकान तक पहुंचा। काल–बेल बजाने के कुछ देर बाद एक युवती ने दरवाजा खोला। भोलेपन से बोली – "किससे मिलना है आपको?"

"रमाकान्त जी से।"

"पापा से?...... आइए।" कहकर युवती, मुझे एक कमरे में ले गई। वहां फर्श पर बिछे एक लम्बे–चौड़े गद्दे पर बैठे, मसनद का सहारा लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले वृद्ध पुस्तक पढ़ रहे थे। उनके इर्द–गिर्द कुछ पुस्तकें व पत्र–पत्रिकाएं फैली थीं और सामने की रेक्स पर मोटी–मोटी पुस्तकें करीने से रखी थीं। मुझे लगा ये ही होंगे रमाकान्त जी.....।

"पापा......।" युवती का स्वर सुनते ही वृद्ध ने पलकें ऊंची की, बोले – "कहो अंजलि।"

"ये आपसे मिलना चाहते हैं।" अंजलि मेरी ओर संकेत कर बोली।

"कहिए?" रमाकान्त जी स्वाभाविक प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखते हुए बोले।

मैंने उन्हें अभिवादन किया। फिर बोला – "जी मैं अपने जोड़ों के दर्द से बहुत पीड़ित हूं।"

वे पल भर में ही फुर्ती से हाथों में थामी पुस्तक एक ओर रखकर, अपने पास बैठने का संकेत कर आगे बोले "बैठो। बैठो।"

"धन्यवाद।" कहकर मैं जैसे–तैसे उनके समीप बैठ गया।

मेरे बैठते ही उन्होंने मेरे हाथ पैरों को देखा। दबाया। मैं चीख पड़ा।

उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, बोले – "गठिया है।"

ऐसा ही कुछ विभिन्न तरह के चिकित्सकों ने भी बताया।....... एक लम्बे अर्से तक इलाज भी करवाया उनसे, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।..... हाथ पैरों की सूजन व दर्द घटते–बढ़ते रहे, बस।" "ओह" एक आह उनके मुंह से निकली। वे दूर शून्य में निहारने लगे। जितने हंसमुख वे शुरू में लग रहे थे, अब उससे ज्यादा गम्भीर लगने लगे। मैं समझ ना पाया कि एकाएक उनको हुआ क्या? मैं कुछ क्षणों तक तो उन्हें एकटक निहारता रहा, तदपश्चात् चिन्तित स्वर में बोला – "यह दर्द व सूजन दूर तो हो जाएगा ना डाक्टर साहब?"

वे चौंके। फुर्ती से आंखें मलते हुए बोले – हां, हां।..... क्यों नहीं......। कुछ समय पहले आ जाते तो.......?"

"क्या बताऊं डाक्टर साहब।.... ऐसे चिकित्सकों के चक्कर में आ गया, जिन्होंने मेरा काफी पैसा भी बर्बाद किया, समय भी, पर दर्द से.....।" कहते–कहते क्रोध से मेरा स्वर और तीखा हो गया। गला सूखने लगा।

खांसी आने लगी।

"पानी मंगाता हूं।" कहकर रमाकान्त जी ने तनिक ऊंची आवाज़ में अंजलि को दो–तीन बार आवाज़ लगाई – "पानी।....... अंजलि पानी भेजो।"

कुछ देर बार सम्भवतः एक नौकर पानी लेकर आया। हम दोनों ने पानी पिया। तद्पश्चात् उनका वही अपनत्व भरा स्वर सुनाई दिया – "आप चिन्ता मर करो। ठीक हो जाओगे।........ समय कुछ ज्यादा लग सकता है।"

मैं चौंका। लगा जैसे वे भी व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले चिकित्सकों की तरह मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। फिर पैसे ऐंठते हुए मेरा इलाज करते रहेंगे।..... शक नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और।.... हो सकता है सियार होकर इन्होंने भी शेर की खाल ओढ़ रखी हो?...... क्यों नहीं कोई बहाना बनाकर यहां से खिसका जाए.......।

"आपका नाम?....... रमाकान्त जी ने एक ओर तनिक झुककर कुछ पर्चियां लगा पैड व कलम उठाने के बाद पूछा।

"मैं.....मैं, मनोहर लाल..... मेरा घबराया स्वर था।"

"उम्र.......?"

"इक्यावन।..... नहीं, शायद बावन हो चुकी है।"

उन्होंने मुझ पर एक–दो पल गहरी दृष्टि डाली। फिर तटस्थ होकर गम्भीरता से पर्ची पर लिखने लगे। और मैं सोचने लगा – कह दूं किसी से मिलना है।...... नहीं, कोई घर पर आने वाला है।....... ठीक नहीं लगेगा। फिर? ..... घर पर पर्स भूल आया।.......

"कुछ परेशान से लग रहे हो?" उन्होंने लिखी हुई पर्ची मेरे हाथ में थमाते हुए बोले – "चिकित्सा केन्द्र खुलने वाला है। यह लेकर वहां चले जाना।"

"पर...... पर मैं शायद पर्स घर भूल आया हूं।" मैं साहस कर बोल ही पड़ा।

"पैसे?"

"जी, ले आता हूं। "कहते–कहते मैंने कठिनाई से उठने का प्रयत्न किया।

"बैठो। बैठो।" उन्होंने आत्मीयता से मेरा हाथ पकड़कर कहा – "यहां गठिये के इलाज पर कोई पैसा नहीं लिया जाता।" मुझे लगा जैसे यह धर्मार्थ पर चलने वाला चिकित्सालय हो। तभी बोला – "लगता है अब भी कहीं न कहीं सत्य मौजूद है। नहीं तो चिकित्सा के इस पुनीत कार्य में भी लोग गलत ढंग से धन बटोरने में लगे रहते हैं।..... ऐसों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।"

"किस–किस पर हो कार्यवाही?" अब तो यह नौबत आ गई है कि हर वर्ग, हर जाति और पेशे में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बेईमानी, छल–कपट वगैरा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने लगे हैं। तभी किसी को किसी पर विश्वास नहीं। किसी को किसी का डर नहीं।..... इन्सानियत तो जैसे स्वप्न की बात हो गई है........।"

"सही कहते हैं आप।..... अच्छा मैं चलूं।" कहकर मैं कठिनाई से उठ खड़ा हुआ।

"ठीक।..... वहां यह पर्ची दिखला देना, इलाज शुरू हो जाएगा।.... कोई परेशानी हो तो वहां अंजलि को बता देना। वह वहां चिकित्सक है।"

"अच्छा।...... चलूं।" कहकर मैं, उन्हें

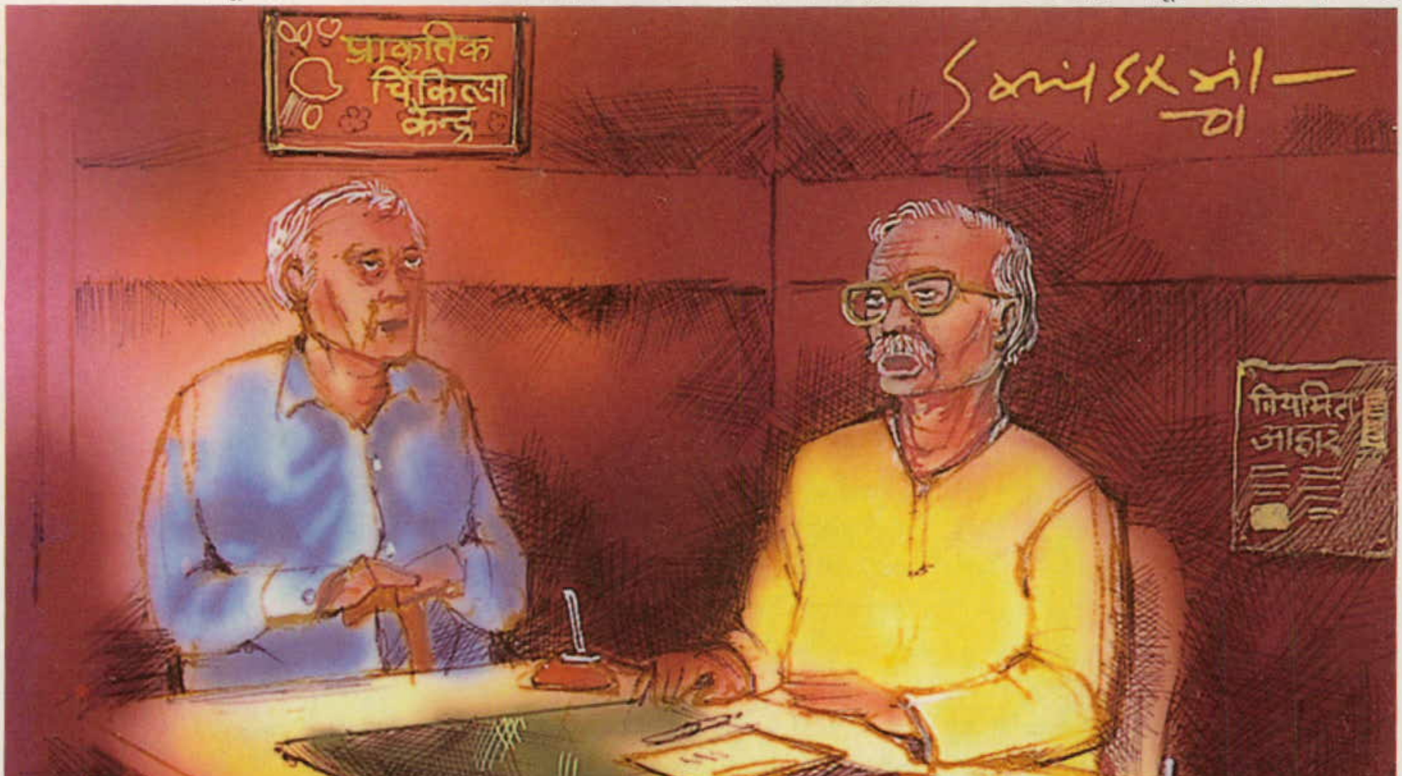

अभिवादन कर बाहर की ओर चल पड़ा।

मैं अभी कमरे के बाहर खुलने वाले दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि रमाकान्त जी का तनिक ऊंचा स्वर आया – "समय–समय पर मुझे भी अपनी प्रोग्रेस से अवगत कराते रहना।"

"जरूर। जरूर।" कहकर मैंने, उन्हें पुनः अभिवादन किया और बाहर निकल गया।

अब मेरा सुचारू रूप से वहां इलाज शुरू हो गया। मैं बराबर उस चिकित्सा केन्द्र में जाता रहा। अपनी स्थिति की रिपोर्ट रमाकान्त जी को देता रहा। प्रगति देखकर वे भी खुश हो जाते। कभी–कभी शीघ्र सुधार के लिए नए–नए सुझाव दे देते। कुछ हिदायतें पर्ची पर अंकित कर देते। तभी मुझे लगता कि उनका ज्ञान काफी विस्तृत है। केवल इस रोग के लिए ही नहीं, बल्कि कई रोगों व चिकित्सा की कुछ अन्य पद्धतियों के लिए भी।

फिर उन्होंने इस पद्धति को ही क्यों चुना, जबकि आम व्यक्ति का इस ओर कोई विशेष रुझान नहीं।..... एलोपैथी के डाक्टरों का तो अच्छा नाम होता है। पैसा भी खूब आता है। आखिर एक दिन इधर–उधर की बातें करने के बाद मैंने, उनसे, उनके प्रति उठी उस जिज्ञासा का समाधान करने का निवेदन कर ही लिया।

पहले तो वे तनिक हंसे। उसके बाद गम्भीरता से बोले – "असल में एलोपैथी में ही जाना चाहता था। बचपन से डाक्टर बनने की इच्छा भी थी। लगन भी। तभी पहले ही अटेम्पट में सलेक्ट होकर मेडिकल कालेज में एडमिशन ले लिया था। पर दुर्भाग्यवश पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी भी ना कर पाया था कि पिताजी चल बसे। मां व तीन भाई–बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। पढ़ाई छोड़ी। जो नौकरी मिली वह करने लगा।..... जैसे–तैसे एक भाई को नौकरी योग्य बनाया। अपनी शादी की। भाग्यवश पत्नी भी सुसंस्कृत संस्कार व सर्विस वाली मिली। हालत सुधरती गई। बाद में तो भाई–बहिन भी अपनी–अपनी स्थिति मजबूत कर अपनी–अपनी गृहस्थी में जम गए। मेरे दोनों बेटे डाक्टर बन गए और अंजलि भी इसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने योग्य हो गई।"

"बहुत भाग्यशाली हैं आप।"

"बहुत।" उनके स्वर में जहां एक ओर प्रसन्नता झलकी वहीं दूसरी ओर एक गहरी पीड़ा नजर आयी। वह पीड़ा मैं कई बार नोट कर चुका था। दो–तीन बार उनकी इस पीड़ा को जानना भी चाहा, पर वे सदा इधर–उधर की बातें कर टालते रहे। फिर मैंने, उन्हें कुरेदना उचित नहीं समझा। बस अपने इलाज के प्रति ही विशेष ध्यान रखा।

कुछ दिन ऐसे ही बीते। उस दिन मुझे रमाकान्त जी के कहेनुसार उन्हें अपने रोग के सुधार की प्रगति बतानी थी। मैं उनके घर गया। वे वहां नहीं मिले। उनके चिकित्सा केन्द्र गया। ढूंढने पर वे एक केबिन में बैठे मिल गए। उनके सामने वहीं मरीज खड़ा था, जिसकी गरीबी के विषय में वे कभी–कभी मुझसे बातचीत के दौरान चर्चा छेड़ देते थे।

मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। न चाहते हुए भी उन दोनों का वार्तालाप सुनने लगा। जिससे ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति उन्हें इलाज के पैसे देना चाहता है और वे लेने से साफ इन्कार कर रहे हैं। आखिर उनके सफल होने व उस व्यक्ति के बाहर आने पर मैं केबिन में घुसा। अभिवादन कर उनके पास रखे स्टूल पर बैठ गया।

"अब कैसे हो?" रमाकान्त जी का अपनत्व भरा स्वर सुनकर मैं बोला – "ठीक हूं। काफी ठीक हूं।"

"थैंक गॉड।" कहकर वे मुझे चेक करने लगे।

"मुझे तो धन्यवाद के पात्र आप लगते हैं।"

"मैं?"

"नहीं तो और कौन?..... आप केवल सफल चिकित्सक ही नहीं।..... सफल इन्सान भी हैं।"

"मेरे पास कोई डिग्री ही नहीं है। मैं सफल चिकित्सक कैसे हो सकता हूं।" तनिक हंसकर कहते–कहते उन्होंने अपने हाथों को अपनी ओर खींच लिया।

"इसका अर्थ हुआ कि आप अपने को सफल इन्सान मानने से भी इन्कार कर सकते हैं?" मैं गम्भीर था।

"बेशक।"

"तो आप बता ही दीजिए कि आप प्रत्येक इन्सान के लिए इतने समर्पित भाव से कार्य कैसे करते हैं?..... क्या आपके चिकित्सा केन्द्र को इतनी आर्थिक सहायता धर्मार्थ के रूप में मिल जाती है कि आप मरीज से एक पैसा भी ना लें?"

"कैसी सहायता।...... मेरे भाई यह चिकित्सा केन्द्र मेरे जीवन भर की कमाई से बना है....।"

"क्या?" मेरे सामने जैसे आठवां आश्चर्य प्रकट हुआ हो। तनिक रुककर मैं फिर बोला – "तो फिर यह फ्री इलाज क्यों करते हैं आप?..... मेरे इलाज का भी पैसा नहीं लिया आपने।"

"क्योंकि आपको गठिया है।..... अत्यन्त गरीब की बात अलग है।"

"गठिये के रोगी के लिए इतनी उदारता क्यो?"

वे कुछ पल खामोश रहे। फिर तनिक गर्दन झुकाए पीड़ित स्वर में बोले – "क्या बताऊं मनोहर जी, दरअसल मेरी पत्नी की डैथ गठिये के इलाज के दौरान हुई थी...।"

मैं चौंका।

"गठिया तो एक बहाना था। सच यही था कि जिन विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सकों ने उसके इस रोग का इलाज किया, उनके किसी हद तक अपने पेशे की अज्ञानता, लापरवाही व लालची होने के कारण वह नए–नए भयंकर रोगों से घिर गई थी......।"

"आपने इलाज नहीं किया?"

"मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं था।...... प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन तौ मैंने उसकी डैथ के बाद ही किया, जब मेरा कुछ प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों पर से एक बार तो विश्वास ही उठ गया था।"

"बहुत बुरा हुआ। वास्तव में इस बुढ़ापे में आपके साथ बहुत बुरा हुआ।"

"अब क्या अच्छा, क्या बुरा।...... बस उसके स्वर्गवासी होने के बाद से मेरे जीवन का यही मुख्य उद्देश्य बन गया है कि मैं इस रोग को दूर करने का विशेष तौर से अध्ययन करूं, ताकि कम से कम गठिये का कोई रोगी, उसकी तरह इस दुनियां से सदा–सदा के लिए विदा ना हो जाए।..... बस यही मेरी उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।...... कहते–कहते रमाकान्त जी की आंखें डबडबा आईं।

मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। ❑

कितना सुरक्षित है हमारा पर्यावरण?

डा. अरविन्द जैन*

पर्यावरण अर्थात् हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में जल, वायु, मिट्टी, जैविकीय, वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन एवं सम्पदा शामिल हैं। जिनकी गुणवत्ता प्राणी जीवन और देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को प्रभावित करती है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन के निर्माण में जल, वायु, क्षिति, अग्नि तथा आकाश पांच तत्वों का योग है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए सदैव हितकारी पर्यावरण का शोषण करता रहा है। इस दूषित पर्यावरण का दुष्प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकर अनेकानेक बीमारियों के रूप में परिलक्षित होता है। पिछले सवा सौ वर्षों में औद्योगिक विकास के कारण मानव ने जितनी गंदगी फैलाई है उतनी उससे पहले के पचास हजार वर्षों में सभी प्राणियों ने मिलकर भी नहीं फैलाई थी। अक्सर हम दावा करते हैं कि हमारी सभ्यता हमारे पूर्वजों की सभ्यता से ज्यादा विकसित है क्योंकि हमें उनसे अधिक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें इन सुविधाओं की कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। सच बात तो यह है कि इन सुविधाओं की प्राप्ति के प्रतिफल में हमने न केवल मानव–जाति बल्कि समूचे प्राणी जगत के जीवन को खतरे में डाल दिया है।

सामान्यतः वातावरण में दो प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण। इसके अतिरिक्त भूमि का अपघटन, वन कटाव भी पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण नया रोग नहीं है प्राचीन काल में भी मानव बस्तियां जलाशयों के तट पर ही बसा करती थीं। जल प्रदूषण भी उसी समय से अस्तित्व में आ गया था। मानव–सभ्यता के विकास के साथ–साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता गया।

भूमि का अपघटन प्राकृतिक रूप से होता है। जल भराव भूमि के खारा होने पर भी भूमि कटाव हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा एवं नदियों से भूमि कटाव के कारण भूस्खलन एवं बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। वनों के कटाव, पारंपरिक कृषि पद्धतियों, खनन और वन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के गलत स्थान के परिणामस्वरूप इन स्थानों में भूमि कटाव अधिक होता है। देश में भूमि

कटाव की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका – 1
मृदा कटाव एवं भूमि का अपखण्डन

(मिलि. हेक्टेयर)

1. कुल भौगोलिक क्षेत्र	328.7
2. जल एवं वायु कटाव वाला क्षेत्र विशेष	141.3
समस्याओं के कारण अपघटित क्षेत्र	
3. जल अवरोधित क्षेत्र	8.5
4. क्षारीय मिट्टी	3.6
5. अम्लीय मिट्टी	4.5
6. तटीय बालूयुक्त सहित खारी मिट्टी	5.5
7. दर्रे एवं खड्डे	4.0
8. परिवर्तन खेती वाला क्षेत्र	4.9
9. नदी एवं जल धारा वाला क्षेत्र	2.7

स्रोत – भारतीय आर्थिक समीक्षा 98–99, पृ. 154

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण अर्थात् जो वायु प्राणी–जीवन के लिए हानिप्रद हो। वायु प्रदूषण के अनेक रूप हैं, विनाशकारी रासायनिक ठोस, द्रव, गैस, अनिष्टकर विकरण, शोर, प्रकम्पन आदि। वायु प्रदूषण उद्योगों, परिवहन तथा अन्य स्रोत जैसे घरेलू कचरा आदि से होता है। देश में वायु प्रदूषण काफी अधिक मात्रा में है। शहरी वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ने में सबसे अधिक योगदान औद्योगीकरण और वाहनों के बढ़ते प्रयोग का है। औद्योगीकरण के कारण शहर बढ़ते हैं। शहरों में अनियंत्रित विकास होता है, यातायात के साधन बढ़ते हैं, फलस्वरूप वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। पेट्रोलियम शोधनशालाओं, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, ताप विद्युत उद्योगों में औद्योगिक प्रदूषण काफी अधिक है। देश के अधिकांश बड़े शहरों में यातायात के कारण वायु प्रदूषण सर्वाधिक है। एक अनुमान के अनुसार कुल वाहनों में 75 प्रतिशत दोपहिया तथा तिपहिया वाहन हैं जो कुल प्रदूषण का 50 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। देश के लगभग 20 प्रतिशत शहरों में सल्फर डाईआक्साइड और उच्च स्तरीय लंबित विशिष्ट पदार्थ (एस.पी.एम.) की मात्रा अत्यंत अधिक है।

देश में वायु–प्रदूषण के साथ–साथ ध्वनि प्रदूषण भी अत्यधिक मात्रा में है। बढ़ते हुए औद्योगीकरण, तकनीकी विकास, शहरीकरण आदि से ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि देश के अधिकांश बड़े नगरों में शोर गुल का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक बढ़ गया है। निम्न तालिका में देश के प्रमुख नगरों में व्याप्त शोर के स्तर को दर्शाया गया है।

जल प्रदूषण

जल प्रदूषण मुख्यतः घरेलू नालों से बहने वाले जल, मल और औद्योगिक कचरे के बहाव के कारण होता है। जल प्रदूषण के इन स्रोतों में कार्बनिक प्रदूषण रसायन, कृषि तथा खनन जैसे भू–आधारित क्रियाकलापों से निकलने वाला अपशिष्ट होता है। बढ़ते हुए

तालिका – 2
शहरों में परिवेशी शोर के स्तर

(डेसीबल में)

शहर	आवासीय		वाणिज्यिक		औद्योगिक	
	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात
1. भोपाल	60	44	75	57	68	47
2. बंगलौर	59–79	37–59	68–81	46–64	63–89	42–65
3. कोलकाता	76–86	58–76	70–90	57–78	75–82	53–70
4. चेन्नई	57–84	45–50	74–80	69–71	69–76	63–69
5. दिल्ली	53–71	–	63–75	–	65–81	–
6. देहरादून	50	38	70	50	50	45
7. हैदराबाद	56–73	40–50	67–84	58–73	44–77	42–70
8. जयपुर	46–82	43–78	64–88	51–80	59–81	48–78
9. कानपुर	49–69	39–59	68–82	57–76	63–78	57–63
10. कोच्चि	70	51	85	56	70	61
11. लखनऊ	55	50	70	58	60	58
12. मुम्बई	45–81	45–68	63–81	60–75	73–79	56–72
13. वाराणसी	50	40	70	50	50	50
निर्धारित मानक	55	45	65	55	75	70

स्रोत : भारतीय आर्थिक समीक्षा, 1998–1999, पृ. 158

तालिका – 3

शहरीकरण में वृद्धि कस्बों के वर्गीकरण के आधार पर

	कस्बों का वर्ग	1901	1951	1961	1971	1981	1991
1.	1,00,000 और अधिक	6,661	27,507	39,883	61,226	94,504	138,802
		(26.00)	(44.63)	(51.42)	(57.24)	(60.42)	(65.00)
2.	50,000–99,999	2,892	6,137	8,713	11,680	18,190	23,309
		(11.29)	(9.96)	(11.23)	(10.92)	(11.63)	(10.95)
3.	20,000–49,999	4,007	9,688	13,139	17,126	22,409	28,079
		(15.64)	(15.72)	(16.94)	(16.01)	(14.33)	(13.19)
4.	10,000–19,999	5,335	8,399	9,902	11,706	14,930	16,531
		(20.83)	(13.63)	(12.77)	(10.94)	(9.54)	(7.77)
5.	5,000–9,999	5,195	7,993	5,329	4,756	5,603	5,532
		(20.14)	(12.97)	(6.87)	(4.45)	(3.58)	(2.60)
6.	पांच हजार से कम	1,562	1,906	597	473	784	614
		(6.10)	(3.09)	(0.77)	(0.44)	(0.50)	(0.29)
	सभी वर्ग	25,616	61,630	77,562	106,967	156,420	212,867
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	10.84	17.29	17.97	19.91	23.24	25.72

स्रोत – अस्थाई कुल जनसंख्या, 1991 का पत्र सं. 2

औद्योगिक और घरेलू जल स्रोतों ने नदियों, तालाबों तथा भूमिगत जलस्रोतों के भण्डारों को अत्यधिक प्रदूषित किया है। वर्ष 1994 के सर्वेक्षण में 22 औद्योगिक क्षेत्रों में नमूने के तौर पर लिए गए 138 स्थानों पर भूमिगत जल की गुणवत्ता के बारे में यह दर्शाया गया था कि अत्यधिक कीटाणु एवं भारी धातु की मिलावट के कारण यह जल पीने योग्य नहीं था। देश के शहरी क्षेत्रों में 85 प्रतिशत आबादी को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 79 प्रतिशत आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। शेष जनसंख्या प्रदूषित जल का उपयोग कर रही है।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण

जनसंख्या वृद्धि : देश के आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत मानव संसाधन है लेकिन एक सीमा के बाद मानव संसाधन अर्थात् जनसंख्या के बढ़ने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शहरों का अनियंत्रित विकास तथा शहरीकरण के दोष पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग विश्व की कुल भूमि के केवल 2.4 प्रतिशत भूमि पर रहता है। देश की आबादी 1901 से 1951 के बीच 23 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 36 करोड़ 10 लाख हो गई अर्थात् 50 वर्षों में करीब 52 प्रतिशत बढ़ी जबकि 1951 से 2001 में 100 करोड़ हो गई अर्थात् इन 50 वर्षों में 180 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रही है।

निर्धनता : पर्यावरण को प्रदूषित करने में देश की अधिकांश जनसंख्या का निर्धन होना भी एक कारण है। गरीब जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है क्योंकि अन्य संसाधन प्राप्त करने की उनकी क्षमता नहीं होती। पर्यावरण एवं निर्धनता के बीच चक्रीय संबंध एकविषम स्थिति है। पर्यावरण के प्रदूषण से निर्धनता में वृद्धि होती है। देश में अभी भी कुल जनसंख्या के 32 प्रतिशत निर्धन लोग हैं। निर्धन लोग अमीरों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी तेजी से उपयोग करते हैं। जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है।

शहरीकरण : तीव्र औद्योगीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी के कारण गरीब परिवार शहरों की ओर पलायन करते हैं। इन ग्रामीण परिवारों के आने से शहरों में झुग्गी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 1901 से 1991 के बीच शहरों की आबादी में आठ गुना वृद्धि हुई है। 1971 से 1991 के विगत दो दशकों में भारत की शहरी आबादी 10.9 करोड़ से 21.8 करोड़ अर्थात् दो गुनी तथा 21वीं सदी के प्रारंभ में इसके 30 करोड़ पहुंच जाने का अनुमान है। भारत में शहरीकरण में वृद्धि दर को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

शहरी जनसंख्या बढ़ने से त्वरित और अनियोजित विस्तार से पर्यावरण का अपघटन हुआ है। पिछले 40 वर्षों में गांवों की करीब 23 लाख हेक्टेयर जमीन जहां खेत और वन थे, शहरीकरण की चपेट में आ गई है। शहरीकरण में वृद्धि से ऊर्जा, आवास, परिवहन, संचार, शिक्षा, जलआपूर्ति, अपशिष्टों का

निष्कासन तथा नियोजन सुविधाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं के संबंध में मांगपूर्ति में अन्तर बढ़ा है।

आर्थिक कारण

आर्थिक विकास का स्तर और स्वरूप पर्यावरण के स्तर तथा स्वरूप को निर्धारित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाती है। वर्ष 1994–95 और 1997–98 के दौरान औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि औसतन क्रमशः 8.4 तथा 8.9 प्रतिशत रही। इस वृद्धि के लिए पर्यावरण की भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण प्रदूषण अधिक बढ़ा। विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन लौह तथा इस्पात, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि से गंभीर पर्यावर्णिक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उन्नत कृषि के लाभ लेने के लिए भी पर्यावरण को अनदेखा किया गया है। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से भूमि के लवणीकरण, क्षारीयकरण और जन अवरोधन की समस्या उत्पन्न होती है।

पर्यावरण सुधारने हेतु उपाय

पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकार अपने स्तर पर उपाय करती है लेकिन उन उपायों के सफल क्रियान्वयन हेतु आम व्यक्ति का सहयोग भी आवश्यक है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक जो कार्यक्रम लागू किए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है –

- पर्यावरण सुधारने के लिए नीतिगत प्रयास जैसे पर्यावरण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति और नीति वक्तव्य 1992, प्रदूषण कम करने के लिए नीति वक्तव्य 1992 और राष्ट्रीय वन नीति 1998।
- वायु जल और शोर स्तरों के लिए उत्सर्जन एवं निस्राव मानकों की अधिसूचना एवं कार्यान्वयन।
- 17 बड़ी प्रदूषक उद्योग श्रेणियों का पता लगाने और उनके बारे में कार्य योजना।
- प्रदूषण कम करने तथा पर्यावरण सुधारने के लिए 24 नाजुक प्रदूषित क्षेत्रों को चुनना।
- 34 प्रतिशत से कम राख–अंश वाले शोधित कोयले का उपयोग।
- नदी जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 141 प्रदूषित नदी क्षेत्रों हेतु कार्य–योजनाएं।
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विनिर्माण स्तर पर उत्तरोत्तर उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं, अधिक साफ ईंधन जैसे सीसा रहित पेट्रोल, कम सल्फर डीजल और संघनित प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू किया गया है।

देश के शहरी क्षेत्रों में 85 प्रतिशत आबादी को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 79 प्रतिशत आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। शेष जनसंख्या प्रदूषित जल का उपयोग कर रही है।

- बड़े उद्योगों के लिए साफ प्रौद्योगिकियों का चुनाव और लघु उद्योगों के लिए साफ प्रक्रियाओं का चुनाव।
- लघु उद्योग यूनिट समूहों के लिए "कामन एफ्लुसेंट ट्रीटमेंट पलांटस" स्थापित करना।
- पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को तैयार करने को प्रोत्साहित करने हेतु 'ईकोमार्क स्कीम' का कार्यान्वयन।
- पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत उद्योग स्थापन को मार्गदर्शन देने के लिए जिला स्तरों पर पर्यावरण की स्थिति को दर्शाने वाले 'जोनिंग एटलस' तैयार करना।
- वार्षिक पर्यावरण विवरणी की प्रस्तुति अनिवार्य करना जिसकी पर्यावरण की लेखा परीक्षा की जा सकती है।
- स्वास्थ्य पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सात अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावर्णिक स्थानिक रोगविज्ञान अध्ययन शुरू करना।
- पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षक तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण जैसी संस्था की स्थापना।
- प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने तथा अति संकुल क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान।

पर्यावर्णिक और सबसिडी पर अंकुश

पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावर्णिक करारोपण भी एक उपाय है। इसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निर्धारित दर से कर आरोपित किया जाए तथा प्रदूषण कम करने वाले उद्योगों को एक निर्धारित दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ऐसे उद्योगों को वित्तीय सहायता देनी बंद करना होगी जिन उद्योगों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण प्रादूषित होता है क्योंकि सबसिडी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ाती है और जिससे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन तथा उर्वरक उद्योग में विशेष ध्यान देना होगा।

पर्यावर्णिक लेखांकन

लेखांकन से संबंधित योजनाएं जो सभी स्तरों पर आर्थिक क्रियाकलापों की पर्यावर्णिक लागतों का सही रूप से आकलन करती हैं इनका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ाने और पर्यावर्णिक प्रभावों को कम करने में किया जाना चाहिए।

औद्योगीकरण की अंधी दौड़ में शामिल होकर आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के बदले में समाज को पर्यावरण के प्रदूषण की भारी कीमत चुकानी पड़ती है जिसका सीधा भार निर्धन वर्ग को उठाना पड़ता है। अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास की ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो प्रमुख रूप से देश की गरीब आबादी के लिए लाभप्रद हों। पर्यावरण को साफ रखना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य तथा व्यक्तिगत दायित्व है। ❑

आजकल

साहित्य और संस्कृति का मासिक

परंपरा और समकालीनता का संगम

हर महीने पढ़िए :

- साहित्य के मर्म की पहचान कराने वाले सारगर्भित लेख
- विद्वान लेखकों की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां
- जीवन की गहराइयों को उद्‌घाटित करती कहानियां
- जिंदगी की मीठी-कड़वी अनुभूतियों को छूती कविताएं

अपने समाचारपत्र विक्रेता से लें या फिर नियमित ग्राहक बनें

चंदे की दरें : □ एक वर्ष : 70 रु. □ दो वर्ष : 135 रु. □ तीन वर्ष : 190 रु.

मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम बनवाएं और निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग
पत्रिका एकांश, पूर्वी ब्लाक-4 , लेवल-7,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 6105590

इन स्थानों पर भी उपलब्ध है

विक्रय केन्द्र : प्रकाशन विभाग □ पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 □ सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 □ हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 □ कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 □ 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 □ राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600009 □ बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004 □ प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001 □ 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226019 □ राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500001 □ प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034.

विक्रय केंद्र : पत्र सूचना कार्यालय □ सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) □ 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003 □ बी-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

उजड़ते वन : प्राकृतिक त्रासदी को आमंत्रण

इरा सिंह

वन महज प्राकृतिक संपदा नहीं है। वनों का महत्व इनसे कहीं ज्यादा है। पर्यावरण या वातावरण जिसमें मनुष्य जीवन संभव हुआ उसे बनाए रखने के लिए वनों का होना आवश्यक है। विश्व में वैज्ञानिकों के अनुसार प्रर्यावरण संतुलन के लिए 33 प्रतिशत वन होने चाहिए जो मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते महज 20 प्रतिशत रह गए हैं। आदिकाल से भारत ने वनों के महत्व को जाना है। जब घने वनों के आस–पास प्रकृति के सहचर में मनुष्य जातियां निवास करती थीं तब भी पेड़ों को देवता का रूप समझ कर पूजा जाता था। मालूम होता है हमारे पूर्वज हमसे अधिक समझदार और वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले थे जो वृक्षों की बहुतायता के बावजूद उनकी रक्षा को अपना परम कर्त्तव्य समझते थे। वनोषधियों पर अनुसंधान तब ही संभव हुए। वे कंदमूल खाकर स्वस्थ रहते थे। लकड़ियों का प्रयोग होता था मगर सूखी लकड़ियों का, इसलिए हमारे मनीषियों ने यज्ञ में सिर्फ सूखी लकड़ियों के प्रयोग का प्रावधान रखा। यज्ञ संस्कृति का मुख्य उद्देश्य जीवन और हरे वृक्षों की रक्षा करना था।

ऐसी संस्कृति के गर्भ में जन्मे भारतवासियों ने वनों की अंधाधुंध कटाई करके विज्ञान और विकास का दम तो भर लिया है परन्तु पर्यावरण को ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया है जहां सासें भी दूषित होने लगी हैं। स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद औद्योगीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण वनों का बहुत विनाश हुआ। सरकार ने उस पर नियंत्रण की कोई पुरजोर कोशिश नहीं की। सन् 1952–53 में हमारे देश में लगभग 23 प्रतिशत भूभाग क्षेत्र पर वन थे जो 1982 तक घटकर 19.52 प्रतिशत ही रह गए। इसमें 10 प्रतिशत ही घने वन थे। उजड़ते वनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जंगल के जंगल नष्ट हो गए। यह इससे भी पता चलता है कि भारत का विश्व के उन राष्ट्रों में पहला स्थान हो गया जहां बड़ी

संख्या में स्तनपायी प्राणियों का जीवन संकट में है। आश्चर्य नहीं कि आने वाली पीढ़ी सिंह, बाघ, तेंदुआ, हाथी और हिरण जैसे जानवरों को महज चित्रों में देखे।

सरकार ने वनों की रक्षा के लिए वन विभाग खोल रखा है जहां सैकड़ों कर्मचारी तैनात हैं। आजादी के बाद वनों के संरक्षण के लिए 1952 में कानून भी बना। सन् 1981 में भारत सरकार ने 'भारतीय वन सर्वेक्षण' का गठन किया और 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नए वनों को लगाने की सामाजिक वानिकी परियोजना शुरू की मगर इच्छा शक्ति और कर्तव्यपालन की कमी की वजह से आज तक हम स्थिति सुधार नहीं पाए। वन संपदा से हम अनजान नहीं हैं वैज्ञानिक कहते हैं कि एक पचास वर्ष का पेड़ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से करीब 15 लाख रुपये प्रदान करता है। जीवनदायिनी आक्सीजन, जड़ी बूटियां, फल–फूल छाया वृक्षों की सघनता पर ही निर्भर है। करोड़ों निर्धनों की जीविका वनों पर आश्रित है। भारत के आठ प्रतिशत आदिवासी उजड़ते वनों के कारण परेशान हैं। यहां तक तो हम नजरअंदाज करते रहे हैं परन्तु अब संकट मानवजाति के अस्तित्व पर आ गया है।

बाढ़, भूकम्प और साल दर साल आने वाला अकाल वृक्षों की कमी का नतीजा है। हाल ही में गुजरात में आए भूकम्प में हमने प्रकृति का विनाशकारी रूप देखा है। प्रकृति हमारी दोस्त है परन्तु, इससे छेड़छाड़ बड़ी दुश्मनी को जन्म दे सकती है। देश हर साल एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है। जिससे आर्थिक और मानसिक क्षति भी होती है। वृक्षों में मिट्टी को जोड़े रखने की अदभुत क्षमता होती है। यह वृक्ष जल के शुद्धिकरण में भी योगदान देते हैं। वायु, जल, ध्वनि और दृश्य माध्यमों से होने वाले प्रदूषण को वन कम करते हैं। पेड़–पौधों कार्बन डाइआक्साइड और अन्य दूषित गैसों का अवशोषण कर लेते हैं इसलिए हमें जीवन उपयोगी वातावरण मिलता है। गैसों के असंतुलन से श्वांस संबंधी रोग, कैंसर व त्वचा रोग में बढ़ोतरी होने लगी है। पृथ्वी का तापमान दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। हमने हिमालय तक को नहीं छोड़ा। वहां की बर्फीली चोटियों में प्रदूषण की चिंगारी जल उठी है जिससे हिमालय के ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे हैं। भूविज्ञानवेत्ताओं के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2020 तक पृथ्वी का औसतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियम बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में शीतोषण क्षेत्र मरुक्षेत्र में बदल जाएंगे। बर्फ पिघल कर समुद्र तट को एक मीटर तक ऊंचा कर देगी जिससे काफी भूभाग डूब जाएगा। प्रकृति के और न जाने क्या–क्या तांडव होंगे? क्या हम अब भी नही चेतेंगे? क्या हमें विनाश को न्योता दे कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना चाहिए? क्या वक्त नहीं आ गया जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्त्तव्य निभाने की आवश्यकता है?

पर्यावरण के लिए स्वैच्छिक प्रयास :

पर्यावरण संकट अब सिर्फ आकड़ों तक सिमट कर नहीं रह गया। हम अपने दैनिक जीवन में इस संकट को महसूस कर सकते हैं। देश को हरा–भरा रखने के लिए सरकार की भूमिका अहम है। अब सरकार को पर्यावरण को बचाने के लिए इसके शत्रुओं के साथ कठोर कदम उठाने होंगे। पेड़ों को काटने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकार के कार्य की सीमाएं हैं। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को बल देना होगा। इतिहास साक्षी है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयास स्त्रियों की पहल पर शुरू हुए। अठारहवीं शताब्दी के शुरू में जोधपुर नरेश के कर्मचारी पेड़ काटने खजड़ली गांव पहुंचे तो वहां की स्त्रियों ने विरोध किया और पेड़ों से लिपट गईं। देखते ही देखते 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया परन्तु एक भी पेड़ नहीं काटा जा सका। वे महिलाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 1973 में 'चिपको आन्दोलन' ने महिलाओं के प्रकृति प्रेम को उजागर किया। निसंदेह महिलाएं प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और वे चाहें तो कोई कारण नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके गांव से एक पेड़ भी काट कर ले जा सके। महिलाएं ही नहीं जन–जन को प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाए और उसका संरक्षण करे। हमारे युवा और बच्चे इस क्षेत्र से सम्बन्धित होने चाहिए। उन्हें स्कूली शिक्षा से पर्यावरण संकट की जानकारी हो। पर्यावरणीय शिक्षा बच्चों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि कम से कम देश के भावी कर्णधार प्रर्यावरण को बचाने लिए चितिंत रहें। ये स्वैच्छिक प्रयास ही हमें भविष्य के लिए उम्मीद दे सकते हैं। ❑

लघु कथा

जौहरी

वीरेन्द्र कुमार भारद्वाज

हीरा को सबलोग पागल कहते थे। लुंगी–गंजी ही पोशाक थी उसकी। एक हाथ में बाल्टी दूसरे में डंडा। घर का कामकाज खतम कर घूम–घूमकर छोटे–छोटे पौधों में पानी डालना, पेड़–पौधों को चर रहे जानवरों को खदेड़–खदेड़कर मारना, नित्य का काम था उसका। दस–पांच दिन पर वह पीटा भी जाता था।

इसके इस पागलपन को वन–विभाग के अधिकारी भी खूब देखते और सुनते थे। आज तो इस पगले को देखकर लोग अचंभित थे, जब वन और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से उसे सम्मानित व पुरस्कृत किया था। ❑

वनों की सुरक्षा और ग्रामीण

अंकुश्री

"वन ही जीवन है" की कहावत सर्वथा सही और उपयुक्त है। वनों में ही हमारी सभ्यता का विकास हुआ है और संस्कृति का पोषण भी। प्राचीन काल से धार्मिक सोच, वैज्ञानिक शोध और प्राकृतिक बोध का मुख्य स्थल वन ही रहा है। पर्यावरण की इकाइयों में वन सर्वाधिक प्रमुख है। वनों में वन्यप्राणी रहते हैं, जिनकी उपयोगिता सर्वविदित है। दैनिक आवश्यकताओं से लेकर घर–बाहर हर जगह वनों और उसके उत्पादों की उपयोगिता है। आहार, आवास, पोशाक, औषधि, पठन–पाठन, यातायात, खेल–कूद, ईंधन, चारा आदि हर जगह वनों का उपयोग दिखाई देता है।

लाभकारी होने के कारण वनों का सार्वजनिक उपयोग स्वाभाविक है। इससे वनों की सुरक्षा पर खतरा भी उतना ही स्वाभाविक है। आज स्थिति ऐसी है कि वनों का क्षेत्रफल प्रायः हर क्षेत्र में कम होता जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण छह दशक पूर्व वनों को विश्व–स्तर पर बड़ी निर्ममतापूर्वक काटा गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तो वनों पर जैसे महासंकट आ गया था। वह सिलसिला पिछले दशक तक चलता रहा।

ऐसे अनेक उद्योग हैं, जो वनोत्पादों पर ही निर्भर हैं। मगर इन उद्योगों में लगे हुए लोगों के लिए वन कच्चा माल की आपूर्ति का साधन मात्र होता है। उनका झुकाव सिर्फ वनों के दोहन की ओर रहता है, उसकी सुरक्षा की ओर नहीं। ऐसे लोग वनों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ बैठे हैं। बल्कि ऐसे ही लोगों के कारण वनों की सुरक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है।

वनों की सुरक्षा के लिए सरकारी महकमे बने हुए हैं। उनमें हजारों की संख्या में लोग कार्यरत हैं। मगर ऐसे लोग आज यहां रहते हैं तो कल वहां, आज सेवा में हैं तो कल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वनों की सुरक्षा उनका कर्तव्य होता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस कार्य में उनकी अभिरुचि भी हो। लेकिन ग्रामीणों के लिए वनों की सुरक्षा एक

कुरुक्षेत्र, जून 2001 31

तेल तथा सिंचाई के लिए पंपसेट हेतु डीजल तेल तक ही सिमट कर रह जाती है। गैर पारम्परिक स्रोत यथा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल, समुद्र, पवन आदि का उपयोग अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही किए जाने की संभावना है। परंतु ग्रामीण इलाकों में इन उर्जा स्रोतों का उपयोग बहुत ही निम्न कुशलता पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में जिन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग द्रुत गति से होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास में ऊर्जा के महत्व को देखते हुए सबसे कमजोर वर्ग के आधारभूत आवश्यकताओं यथा, खाना पकाने, रोशनी, सिंचाई आदि की व्यवस्था करने के लिए तथा ऊर्जा की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ते अंतराल को पारकर ऊर्जा आपूर्ति की निरन्तरता को कायम रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया जो निम्न है – योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम परती भूमि विकास, जलाऊ लकड़ी उत्पादन कार्यक्रम तथा सम्बन्धित ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम इत्यादि। इन सारे कार्यक्रमों से प्रगति तो अवश्य हुई पर इस प्रगति का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंच सका। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति यह गलत धारणा बनी रही कि इसके लिए निम्न तकनीकी ही ठीक है। यदि उन्नत तकनीकी का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया होता तो ग्रामीण ऊर्जा की समस्या जटिल न हुई होती। अतः ग्रामीण ऊर्जा के लिए अत्यन्त आधुनिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र के सन्दर्भ में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों यथा, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, तेल जैवीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पशुबल इत्यादि का विशेष महत्व है।

सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा भारत जैसे विकासशील देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर साबित हो सकती है। चूंकि भारत कर्क रेखा के करीब है इसलिए यहां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अन्य देशों से काफी अधिक है। विशेष रूप से अप्रैल से जून माह में इतनी अधिक तेज धूप पड़ती है कि यदि इसका लाभ उठाया जाय तो ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। इस देश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड आदि संस्थाओं ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आधुनिक सस्ते एवं सुलभ अनुसंधान के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बड़े घरानों में खाना बनाने, पानी गर्म करने, प्रकाश आदि कार्यों के लिए ही सिमट कर रह गई है। मध्यम और निम्न वर्ग के लिए इसकी उपयोगिता नगण्य ही है। यदि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित और संग्रहीत करने वाले सेलों को विकसित कर सस्ता तथा सुलभ बनाया जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में काफी प्रगति हो सकती है, जैसा कि लद्दाख में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इजराइल अपना विकास सौर ऊर्जा के माध्यम से कर रहा है। सौर ऊर्जा के विकास से वनों के कटाव पर नियंत्रण होगा, कोयले की बचत होगी, स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा एवं प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाएगा।

यदि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित और संग्रहीत करने वाले सेलों को विकसित कर सस्ता तथा सुलभ बनाया जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में काफी प्रगति हो सकती है, जैसा कि लद्दाख के खेतों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।

भूगर्भीय ऊर्जा

पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा भंडार है परन्तु इन्हें प्राप्त करने के लिए आधुनिक विकसित विधियों के प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अब तक दो विधियां विकसित हुई हैं। पृथ्वी के अन्दर गर्म जल कुण्ड से ऊर्जा प्राप्त करने की सफल विधि का प्रयोग लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। जिसने पांच किलोवाट के क्षमता के संयंत्र का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। साथ ही पृथ्वी के अन्दर सूखे गहरे कुएं खोदकर चट्टानों की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करने का अनुसंधान चल रहा है। ये स्रोत पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से भी ठीक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गर्म जल कुण्ड है, जैसे बिहार राज्य के राजगृह क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में वहां इसके पर्याप्त विकास की सम्भावनाएं हैं। सिर्फ इसे कुशल तकनीक से विकसित करने की आवश्यकता है।

बायो गैस

भारत में ग्रामीण विकास हेतु बायो गैस की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन उसका सही उपयोग न कर कंडे के रूप में जलाया जाता है। हमारे यहां कुल लगभग 12,000 टन गोबर में से मात्र 50 प्रतिशत का ही कुशल तकनीकी से प्रयोग हो पाता है। बाकी 50 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। एक टन गोबर के कंडे से मात्र 58,750 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है और एक टन गोबर गैस से 1,44,000 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने एवं रोशनी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। इतना ही नहीं इस गैस प्लांट से जो कचरा निकलता है उसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जा सकता है जो कम्पोस्ट से अधिक गुणकारी होता है। इसका अपशिष्ट मछलियों का आहार बन जाता है। यह प्रदूषण रहित है जिसका ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गोबर के अलावा घास–फूस, कूड़ा करकट, धान की भूसी, गन्ने की खोई, से भी पर्याप्त मात्रा में बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मानवीय मल–मूत्र से भी बायोगैस प्राप्त की जा रही है। इसका रोशनी एवं खाना पकाने के लिए बिहार राज्य की राजधानी 'पटना' में प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार 1962 से अब तक लगभग हमारे देश के 12 लाख परिवारों

ने गोबर गैस संयत्र को अपना कर प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा की बचत की है।

पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दी में ही नाविकों ने पालों के माध्यम से हवा को संग्रहीत कर नाव को खेने में सफल प्रयोग किया। सर्वप्रथम डेनमार्क, हालैण्ड के गांवों का विकास पवन ऊर्जा के माध्यम से ही हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन में भी पवन ऊर्जा का अधिक विकास हुआ। हमारे यहां इसका अनुसंधान कार्य मूलतः 1952 में शुरू हुआ। तब से यह कृषकों के लिए एक कारगर ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित हुई। पवन चक्की के जल उठाने की क्षमता पवन के वेग तथा जल के पृथ्वी की सतह से गहराई पर निर्भर करती है। पवन चक्की की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके निर्माण में मात्र 6000 रुपये का व्यय होता है। अन्य ऊर्जा स्रोतों से यह सस्ता तथा सुलभ पड़ता है हमारे देश में अब तक 2000 से अधिक पवन पम्प लगाए जा चुके हैं जो खेतों की सिंचाई एवं पीने के पानी के रूप में सफल सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 853 एकड़ भूमि की सिंचाई पवन ऊर्जा से होती है। यह पूर्ण रूप से दुर्घटना एवं प्रदूषण रहित है।

जल ऊर्जा

भारत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नदी, नालों, नहरों तथा छोटे–छोटे पहाड़ी झरनों आदि में पानी बिजली के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी 75,000 मेगावाट पन बिजली क्षमता का मात्र 10 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है। जबकि हर दृष्टि से पन बिजली ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल होने के बावजूद अभी तक हमारे देश में लघु पन बिजली परियोजनाएं ही विकसित हो पाई हैं। पेट्रोल कोयला तथा अणुशक्ति आदि ऊर्जा के स्रोत से पन बिजली लागत में कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है।

समुद्रीय ऊर्जा

समुद्री किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुद्र से तरंगे–लहरें सदा उठती रहती हैं जिसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस संदर्भ में भारत अनुसंधानरत है। अमोनिया को नाइट्रोजन व हाइड्रोजन में विभक्त करने से प्राप्त हाइड्रोजन का वाहनों के लिए ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु लगभग ग्यारह परियोजनाएं दस मेगावाट बिजली का उत्पादन इस वर्ष से करेंगी। लेकिन अभी और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि समुद्रीय तट के गांव विकसित हो सकें।

इस प्रकार आज गांव गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा बरोजगारी की मार से कराह रहा है। परिणामतः बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अतः आवश्यकता है गरीबी उन्मूलन के लिए गांवों में ही रोजगार के अवसर की तलाश करने की। एक अनुमान के अनुसार सन् 2001 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे जबकि इसकी सफलता ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर है। ❑

जिसने जीतू जैसी अबला को बना दिया निडर

राम शंकर चंचल

कोई उम्र नहीं होती
ज्ञान प्राप्ति में
बाधक
पचास वर्षीय जीतू ने
एक ही वर्ष में
बहुत कुछ सीख
कर दिया यह साबित

जीतू
सीख/पढ़
एक वर्ष में ही
देखते–देखते
अपने प्रभाव से
ज्ञान व व्यवहार से
बन गई सरपंच

जीतू
अब अकेली ही जाती है
जिले के कार्यालयों में
निपटा लाती है
अपने गांव की कई
समस्याएं

जीतू
अन्याय के खिलाफ
मचा देती है क्रांति
दिलाती है उसे हक
जिस पर उसका अधिकार था

वह
निडर/निर्भीक
बेधड़क पहुंच जाती
कलेक्टर/मंत्री
कहीं भी/किसी के पास भी
कभी भी

जीतू
बन गई वरदान
गांव के लिए
महिला/पुरुष
युवक/युवतियां
सबके लिए

एक प्रेरणा/ताकत
जिसने सबके मन में
पैदा कर दी
जिज्ञासा/लगाव/प्रेम
साक्षरता के प्रति जिसने जीतू जैसी
अबला को
बना दिया
निडर/निर्भीक
समझदार।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

रतिज रोगों के साथ-साथ प्रजनन मार्ग संक्रमण भारत में रुणता के उत्तरोत्तर बढ़ते एक बड़े कारण के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। देश के एच आई वी/एड्स महामारी की शुरुआत के साथ प्रजनन मार्ग संक्रमण के नियंत्रण का महत्व बढ़ गया है। जननेंद्रिय के अल्सर होने की दशा में एक ही बार संभोग से एच आई वी एड्स का खतरा 10 से 30 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार एच आई वी की रोकथाम के साधन के रूप में रतिज रोगों की रोकथाम और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

आज एच आई वी एड्स के खिलाफ एकमात्र हथियार जागरूकता है, क्योंकि इससे ही सुरक्षित सेक्स तथा अन्य स्वास्थ्य तौर-तरीकों के प्रति व्यक्ति व समाज के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। प्रजनन अंग संक्रमणों/रतिज रोगों के शुरुआत में ही पता लग जाने ओर उनके कारगर इलाज से एच आई वी के फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान समाज में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों तथा हाशिए पर रहने वाले अन्य लोगों में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों को हल करने की दिशा में एक प्रयास है। यह एक रणनीति है, जिसके जरिए लक्षित जनसंख्या को इन समस्याओं के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है तथा समाज के पूर्ण सक्रिय सहयोग से प्रजनन मार्ग संक्रमणों और रतिज रोगों को शुरूआत में ही पता लगा लेने और उपचार के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उद्देश्य

इस अभियान का समग्र उद्देश्य रतिज रोगों और एच आई वी/एड्स सहित प्रजनन मार्ग संक्रमणों को रोकना है।

विशिष्ट उद्देश्य हैं :

- प्रजनन मार्ग संक्रमणों/रतिज रोगों तथा एच आई वी/एड्स के बारे में ग्रामीण इलाकों के तथा जनसंख्या के अन्य कमजोर वर्गों में जागरूकता बढ़ाना।
- प्रजनन मार्ग संक्रमणों/रतिज रोगों के लिए आम लोगों में स्वास्थ्य की चाह को बढ़ावा देना।
- लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक करना।
- कार्यक्रम को मुख्यधारा में लाकर प्रजनन मार्ग संक्रमणों/रतिज रोगों की शुरुआत में ही पहचान और तत्काल इलाज में मदद करना।
- पुरुषों के लिए एक केंद्रित सूचना, शिक्षा व संचार रणनीति लागू करना।

रणनीति

रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

कारगर अंतर क्षेत्रीय समन्वय :

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में क्रमशः केंद्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर संचालन तथा जन संचार समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित करना है।

जन जागरूकता और सामाजिक एकजुटता

परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरूआत से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा घर-घर जाकर सम्पर्क के दो दौर प्रस्तावित किए गए हैं। घर-घर जाकर सम्पर्क करने का उद्देश्य 15 से 49 वर्ष की आयु के लक्षित समूह को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं तथा रतिज संक्रमणों के उपचार की सुविधाओं और इनकी रोकथाम के तरीकों के बारे में जानकारी देना है। समाज के मत-निर्माता नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और जिला व ब्लाक स्तरों पर पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है, ताकि इस अभियान में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके।

रतिज रोगों की प्रबंध क्षमता विकास

सभी चुने गए जिलों में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए रतिज रोगों के लक्षण-प्रबंध के बारे में पुस्तिकाएं सभी राज्यों को भेजी गई हैं। अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए क्लिप चार्टों का प्रयोग किया जा रहा है।

रतिज रोग की दवाओं की खरीद

इस अभियान के रतिज रोगों के रोगियों के इलाज के लिए और कारगर साथी-प्रबंध तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रतिज रोगों की दवाएं सप्लाई की गई हैं।

प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन

प्रत्येक गांव में पुरुषों व स्त्रियों के लिए अलग-अलग शिविरों के आयोजन का प्रस्ताव है। प्रत्येक शिविर में अलग-अलग पुरुष व स्त्री कार्यकर्ता आएंगी तथा सामुदायिक स्वयंसेवक उनकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता लक्षित समूहों के साथ प्रजनन मार्ग संक्रमणों/रतिज रोगों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें रोगियों, लक्षणों और जटिलताओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। कार्यकर्त्ता इन लोगों को एच आई वी/एड्स फैलने और इसकी रोकथाम व नियंत्रण के बारे में जागरूक भी करेंगे। शिविरों में भाग लेने वालों को उपचार की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा तथा इलाज की जरूरत वाले लोगों को विशेषज्ञों के लिए पर्चियां जारी की जाएंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता उपचार के लिए भेजे जाने वालों का रिकार्ड भी रखेंगे, ताकि वे रोगियों के यहां अनुवर्ती दौरे कर सकें,

जिससे रोगियों का सम्पूर्ण इलाज सुनिश्चित हो सकेगा।

निगरानी और आकलन :

अभियान की कारगर निगरानी और आकलन के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएगी :

- केन्द्रीय और राज्य स्तर के प्रेक्षकों के सुपरवाइजरी दौरे–इसके लिए एक मानक जांच सूची तैयार की गई है।
- साथ–साथ आकलन – साथ–साथ आकलन के लिए राज्य किसी एजेंसी का चयन करेंगे।

प्रक्रिया तथा प्रभाव मूल्यांकन :

प्रक्रिया और प्रभाव मूल्यांकन करने का दायित्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इंडिया क्लीनिकल एपीडेकियोलाजी नेटवर्क को सौंपा गया है।

परिणाम

इस अभियान का प्रायोगिक दौर देश भर में 100 जिलों में 26 अप्रैल से 1 मई 1999 तक चलाया गया। इस दौरे के परिणाम उत्सावर्द्धक थे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों का ब्यौरेवार विश्लेषण किया गया, ताकि इसे अधिक कारगर बनाया जा सके। अभियान का दूसरा दौर 266 जिलों में 1 से 15 दिसम्बर, 1999 तक चलाया गया। यह अभियान जम्मू कश्मीर और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाया गया। इन दो राज्यों के आंतरिक स्थितियों के कारण अभियान नहीं चलाया गया। 15–49 वर्ष के लक्षित आयु वर्ग में लगभग 17.5 करोड़ लोगों की पहचान की गई। इनमें से 4.5 करोड़ ने (25.6 प्रतिशत) जागरूकता के लिए आयोजित ग्राम–स्तरीय शिविरों ने भाग लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 17 लाख लोग भेजे गए तथा 10 लाख लोगों का इलाज किया है। इन शिविरों में प्रजनन मार्ग संक्रमणों/रतिज रोगों के लक्षण प्रबंध के लिए पुरुषों की 22.3 प्रतिशत तुलना के स्त्रियों की संख्या (77.7 प्रतिशत) बहुत अच्छी रही।

पिछले दौरों के उत्साहवर्द्धक परिणामों से प्रेरित होकर इस अभियान को साल में दो बार चलाने का फैसला किया गया। ❑

कुरुक्षेत्र की विज्ञापन दरें

	सामान्य दर		चार विज्ञापनों की अनुबंध दर		विशेषांक की दरें	
	रंगीन	श्वेत/श्याम	रंगीन	श्वेत/श्याम	रंगीन	श्वेत/श्याम
पूरा पृष्ठ	8000	4000	25600	12800	12000	6000
आधा पृष्ठ	5000	2500	16000	8000	7000	4000
पिछला आवरण पृष्ठ	13000	7000	41600	22400	19000	10000
अन्दर का (तीसरा) आवरण पृष्ठ	11000	6000	35200	19200	16000	9000

पत्रिका के आकार संबंधी अन्य जानकारी

पूरा आकार	: 21 से.मी. × 28 से.मी.
मुद्रित क्षेत्र	: 17 से.मी. × 24 से.मी.
मुद्रण प्रणाली	: आफसेट प्रेस
स्वीकार्य विज्ञापन सामग्री	: केवल आर्टवर्क/आर्टपुल/पोजिटिव
विज्ञापन स्वीकार करने की अंतिम तिथि	: 60 दिन पहले
पता जिस पर विज्ञापन भेजा जाए	: विज्ञापन एवं प्रसार प्रबंधक प्रकाशन विभाग ईस्ट ब्लाक 4, लेवल 7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110066 टेलीफोन : 6105590 (कार्यालय) फैक्स : 6175516

डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो

हम विज्ञापन एजेंसियों को 15 प्रतिशत कमीशन देते हैं।

किसी पत्रिका के दो भाषाओं के संस्करणों के एक ही अंक के लिए विज्ञापन जारी करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

निर्धनों की कामधेनु : बकरियां

डा. सुनील कुमार "प्रियबच्चन"

बकरी पालन कई दृष्टियों से उपयोगी एवं सरल है। यह अन्य पशुओं की तुलना में सस्ता भी पड़ता है। बकरियों का एक गुण यह भी है कि ये शीघ्र अपने को किसी भी जलवायु और परिवेश के अनुकूल बना लेती है। इस तरह, बकरियों का पालन सभी लोगों द्वारा संभव है। इन सब कारणों से, बकरी को 'निर्धनों की कामधेनु' भी कहा जाता है।

स्विट्जरलैण्ड में इन दुधारू बकरियों को बच्चों की धर्ममाता के नाम से अभिभूत किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से बकरी पालन अटूट श्रद्धा के साथ किया जाता रहा है। आज भी, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन किसानों और गरीब लोगों द्वारा बकरी पालन का व्यवसाय किया जाता है।

इस समय भारत में बकरियों की संख्या करीब 14 करोड़ है जिनका देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है। इसके दूध, मांस, खाल और बालों से सालाना करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है। यहां "भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान" इज्जतनगर, बरेली एवं "राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान" करनाल, हरियाणा द्वारा बकरी पालन और इसकी उन्नत नस्लों के विकास पर निरंतर शोध कार्य चल रहा है।

भारत में बकरियों की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं :

मारवाड़ी : यह नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका आकार मध्यम होता है। इनके कान मोटे और सींग मुड़े हुए तथा नुकीले होते हैं। विभिन्न प्रकार के नस्लों में मारवाड़ी नस्ल की बकरियों का मांस काफी अच्छा होता है। साथ ही, इन बकरियों के जबड़े पर घनी दाढ़ी होती है और इनकी दुम ऊपर की ओर वक्र होती है।

जमुनापारी : इस नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से गंगा, यमुना और चम्बल नदी–घाटियों के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी ऊंचाई, लम्बाई और वजन क्रमशः 125 से.मी., 110 से.मी. और 75 कि.ग्रा. तक हो सकता है। इन्हें दूध और मांस दोनों दृष्टियों से काफी अच्छा माना जाता है। लम्बे लटके हुए कान, सफेद चमड़ी पर गहरे लाल धब्बे, चपटे तथा छोटे सींग और बड़े थन इनकी विशेषताएं हैं।

सूरती : इस नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इनके पैर छोटे तथा रंग सफेद होता है और यह कई नस्लों से अपेक्षाकृत अधिक दूध देती हैं।

बंगाल : यह मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस नस्ल की बकरियां यूं तो कम मात्रा में दूध देती हैं परन्तु इनका मांस काफी अच्छा होता है। इसकी खाल उत्तम कोटि की

होती है जिसके कारण इसकी विदेशों में काफी मांग है।

पश्मीना : इस नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से लद्दाख और स्पीति घाटियों, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनसे अत्यन्त मुलायम और गर्म ऊन प्राप्त होती है। साथ ही, ये परिवहन के काम में भी आती हैं।

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नस्लें हैं : बरबरी, मलाबारी, बीतल, उस्मानाबादी, कश्मीरी आदि।

बकरियों का भोजन एवं रख–रखावः

यदि बकरियां चारागाह में नहीं जाती हैं तो एक औसत दुधारु बकरी को प्रतिदिन तीन बार कुल 2 से 3 कि.ग्राम. हरा चारा और एक से दो कि.ग्रा. भुस्सी या सूखा चारा देना पड़ता है। अपनी तुनकमिजाज के कारण, ये बकरियां अपने पैरों से कुचले चारे को ग्रहण नहीं करती हैं। साथ ही, ये गीला चारा पसन्द नहीं करती हैं। गाभिन बकरियों के भोजन में दो भाग दला हुआ चना तथा एक भाग गेहूं का चोकर अवश्य मिला देना चाहिए। प्रसवोत्तर काल में, इन्हें सरसों की खल्ली, मक्का की भुस्सी, ताजी हरी घास और खनिज मिश्रण देना लाभप्रद होता है।

बकरियों के रहने के लिए ऐसे आवास या बाड़े होने चाहिए जहां सूरज की रोशनी शुद्ध हवा आती हो। साथ, इन जगहों पर नमी एवं गंदगी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में, इन्हें गर्मी की जरूरत पड़ती है अतएव इनके रख–रखाव वाले स्थान को आग जलाकर गर्म कर देना उचित है। साथ ही, बकरों को दुधारु बकरियों से थोड़ा अलग रखना चाहिए।

प्रजनन एवं पालन–पोषण :

साधारणतया बकरा एक साल में और बकरी डेढ़ साल में वयस्क हो जाती है। ज्यादातर बकरियां मई–जून या अक्तूबर–नवम्बर में गाभिन होती हैं। साल भर में दो वर्ष का बकरा 24 बकरियों और 4 वर्ष का बकरा करीब 100 बकरियों को गाभिन कर सकता है। बकरी की औसत आयु करीब 12 वर्ष होती है और इसकी प्रजनन शक्ति 5 से 7 वर्ष के बीच अधिकतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में, बकरियों में गर्मी एक से तीन दिन तक एवं सर्दियों में गर्मी एक से ड़ेढ़ दिन तक रहती है। इनमें गर्भावस्था की सामान्य अवधि 145 से 152 दिनों तक होती है। बकरी में गर्मी के लक्षण प्रकट होने के 10–15 घण्टे के बाद उसका बकरे से मेल कराना अच्छा होता है। आमतौर पर प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के बाद बकरी गर्मी पर आती है। बकरी में गर्मी आने पर यह खाना छोड़ देती है और बेचैन होकर मिमियाने के साथ–साथ पूंछ हिलाती है। नए जन्मे मेमने को कम से कम दो माह तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए। नर मेमनों को डेढ़ से तीन माह के बीच बधिया करवाना अच्छा होता है। बधिया किए गए मेमने तेजी से बढ़ते हैं एवं उसमें से बोतू वाला अजीब–सा गंध भी नहीं आता है।

सामान्य रोग :

(क) **गिल्टी रोग (एंथ्रेक्स)** – यह बकरियों को प्रायः हो जाता है। रोग्राक्रान्त बकरी का तापमान बढ़ जाता है और यह लड़खड़ाने लगती है। इनकी भूख खत्म हो जाती है और ये जुगाली करना बन्द कर देती हैं। साथ ही, ये ठीक से सांस भी नहीं ले पाती हैं। फिर इनके शरीर के कई भागों से रुधिर का स्राव होने लगता है। इसके इलाज के लिए इन्हें ऐंथ्रेक्स का टीका लगाना जरूरी होता है।

(ख) **मुंह खुर** – इसमें इन्हें तेज बुखार होता है, इनके मुंह से बार–बार लार टपकती है और जीभ आदि पर छाले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में, इन्हें कीटनाशक दवा मिले पानी से कुल्ले कराने चाहिए एवं शीघ्रता से पचने वाली खुराक देनी चाहिए।

(ग) **थन पका** – इसमें इन्हें बुखार चढ़ता है और खाने–चलने में कठिनाई होती है। ये सुस्त दिखाई देती हैं एवं मेमनों को दूध नहीं देती हैं। ऐसे में, रोगग्रस्त बकरियों को अलग रहने की व्यवस्था करनी चाहिए एवं बांक को चोट से बचाना चाहिए। साथ ही, इन्हें आरामदेह बिछावन पर सुलाना चाहिए। ❑

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिए। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजें।

— **सम्पादक**

उपयुक्त प्रौद्योगिकी बदलेगी तस्वीर गांव की

ममता भारती

सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए जहां एक ओर ऋण रोजगार तथा समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वहीं दूसरी ओर सस्ती प्रौद्योगिकी का प्रसार भी अनिवार्य है। आज आवश्यकता सिर्फ इसी बात की नहीं है कि नई–नई तकनीकों का विकास किया जाए। जरूरी बात यह है कि ग्रामोपयोगी प्रौद्योगिकी से जुड़ी जानकारी को ग्रामवासियों तक पहुंचाया जाए ताकि वे उसे देख और समझकर अपना सकें तथा उसकी सहायता से अपनी आमदनी बढ़ा सकें और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। हमारे जन संचार माध्यम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर ग्रामीण विकास की गति को तेज कर सकते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) अहमदाबाद ने एक गैर सरकारी सगंठन हनीबी नेटवर्क के साथ मिलकर राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान नामक संस्था की स्थापना की है। यह संस्था स्थानीय स्तर पर संभावित नव प्रवर्तन और उसकी मौलिकता की पहचान करती है तथा उन्हें बढ़ावा देती है। टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को आत्म–निर्भर तथा विश्व का मार्गदर्शक बनाना इस संस्था का उद्देश्य है। इस संस्था ने सन् 2000 से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रारम्भ की है। इसमें गांववासी, किसान, कारीगर, कलाकार तथा छात्रों आदि से स्वास्थ्य, निर्माण, हस्तकला, टैक्सटाइल, ऊर्जा, कृषि तथा लघु उद्योग जैसे किसी भी पहलू से जुड़े नवप्रवर्तन आविष्कार या पारंपरिक जानकारी के विवरण आमंत्रित किए जाते हैं। महिलाओं द्वारा किए गए आविष्कारों को प्राथमिकता दी जाती है। गुणवत्ता के आधार पर पहले तीन आविष्कारों को पचास, पच्चीस तथा दस–दस हजार रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह संस्था स्वदेशी तकनीक से संबंधित छोटी–छोटी किंतु उपयोगी खोज का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर रही है। इच्छुक व्यक्ति

या संस्थाएं पोस्ट बाक्स – 15051, अहमदाबाद–15 से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इस संस्था को स्व–विकसित तकनीक भेज़ी जा सकती है तथा मंगाई भी जा सकती है। स्थानीय सूझ–बूझ तथा तकनीकी खोज करने वालों को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और उसका प्रसार करने के सम्बन्ध में काफी कार्य हमारे देश में हुआ भी है। फिर भी अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियां पहुंचानी शेष हैं। गरीबी और अशिक्षा भी इस दिशा में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। इसके बावजूद भी निःसंदेह क्रांतिकारी तकनीकों से भी बदली है हमारे देश की तस्वीर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रुख विशेष रूप से प्रायः शहरी जीवन की ओर केन्द्रित रहा है जबकि हमारे देश की अधिसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण जन–जीवन की कठिनाइयां अलग प्रकार की हैं। अतः प्रौद्योगिकी का समुचित प्रसार गांवों की ओर होना अनिवार्य है ताकि समय और श्रम की बचत तथा उत्पादन की वृद्धि के साथ–साथ जीवन का स्तर भी बेहतर हो सके।

आजादी के बाद पांच दशकों में ऐसे विभिन्न प्रयास हुए हैं। वर्ष 1994–95 में एक कार्यदल का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था। उस कार्यदल ने यह आकलन किया था कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को किस प्रकार की प्रौद्योगिकी चाहिए। इस कार्यदल ने यह पता भी लगाया था कि विश्व भर में हुई प्रगति के संदर्भ में हमारा देश कितना पीछे है? भविष्य में परिवर्तन की कितनी संभावनाएं विद्यमान हैं? इस कार्यदल में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। अतः देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी विकास हेतु चयनित किया गया था। इस कार्यदल ने एक हजार से भी अधिक क्षेत्रों का सुझाव दिया था जिनमें तकनीकी विकास से क्रांति सम्भव है।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सन् 1988 में तकनीकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद का गठन किया था। जिसे संक्षेप में टीफाक कहते हैं। देश के आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, उसके चयन, पहचान और मूल्यांकन जैसे मुद्दों पर अध्ययन तथा उसे प्रोत्साहित करना इस परिषद के उद्देश्यों में शामिल है। परिषद द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनों में ऊर्जा, परिवहन तथा कृषि आधारित उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित हैं। उन्नत पशुचारा, दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि उपज में क्षतिनियंत्रण, फल और सब्जी में उत्पादन

हमारे गावंवासियों में से अनेक ऐसे हैं जिनके पास बेहतर तरीके अथवा ऐसे उपकरण हैं जो उन्होंने खुद अपनी सूझबूझ से विकसित किए हैं। वे आम भाषाओं में ऐसी युक्ति को सुगत या जुगाड़ कहते हैं। इनकी अनदेखी करने से काम चलने वाला नहीं है। यही तो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इसका प्रयोग करके ग्रामीण विकास के कार्यों को गति प्रदान की जा सकती है।

वृद्धि, खलिहानों से मुक्ति तथा सुरक्षित भंडारण की संबंधित तकनीकें उपलब्ध हैं। समग्र ग्रामीण विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे देश में यह कार्य एक सरकारी संस्था द्वारा विशेष रूप से किया जा रहा है। इस संस्था का नाम है – *लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद* इसे *कपार्ट* भी कहा जाता है। इस संस्था का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास को प्रेरित करना। ऐसे प्रयासों से हमारे गांवों में खुशहाली आती है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। आत्म–निर्भरता के फूल खिलते हैं। जन–जीवन में गुणवत्ता की सुगंध फैलती है। सन् 1986 से कपार्ट इस तरह की परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। दस लाख रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूर करने हेतु जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में नौ क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

कपार्ट द्वारा उन पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को सहायता दी जाती है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास के बिंदु को भी इस कार्य सूची में शामिल किया गया है। गैर सरकारी संगठन इस संबंध में सहायता प्राप्त करने हेतु अपनी परियोजनाओं के प्रस्ताव महानिदेशक कपार्ट, 5, लोदी रोड, नई दिल्ली – 3 अथवा अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेज सकते हैं। बेहतर होगा कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजने से पूर्व सम्बद्ध योजना के दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर लिया जाए।

गांधीजी का स्वप्न था समग्र ग्रामीण विकास। वह कहते थे कि भारत शहरों में नहीं वरन् गांवों में बसता है। 4 अप्रैल 1936 को *हरिजन* में प्रकाशित लेख के अन्तर्गत उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म–निर्भरता आनी चाहिए। यह देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात आधी सदी से भी अधिक बीत जाने पर ग्रामीण विकास का सपना कितना साकार हुआ? कौन–कौन सी बाधाएं बीच में आईं? किस प्रकार उन्हें दूर किया जा सकता है? इन सब प्रश्नों पर नए सिरे से गौर करना होगा। सामान्य जन में यह भावना जगानी होगी कि विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। हम सबको भी इस पुनीत कार्य में अपनी–अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, अपना योगदान करना है। सबसे गरीब ग्रामीण जो हमारे आस–पास हो उसके जीवन में रोशनी भरने के लिए हमारा छोटा–सा प्रयास भी उसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और कुछ नहीं तो हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। यह उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। हमारे देश में रोटी और रुपये पैसे से भी कहीं अधिक सूचना की गरीबी है। जरूरतमंद लोगों में जानकारी का अभाव है। निर्धनता का अभिशाप व्यक्ति को दीन–हीन बना देता है। ऊपर से

निरक्षरता जिंदगी के रस को सुखाकर उसमें दुखों का जहर घोल देती है। ऐसे में व्यसनों से होने वाली हानि के प्रति जागरुक करना, छोटे परिवार के प्रति प्रेरित करना, आलस्य, उदासीनता तथा अनभिज्ञता का कुचक्र तोड़कर स्व–उत्थान के प्रति प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी बात होती है।

प्रौद्योगिकी की पारस पथरी किसी भी लोहे को अपने चमत्कारिक स्पर्श से कुदंन बना सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। सोचने का ढंग समुन्नत हो ताकि काम को बेहतर ढंग से किया जा सके। उत्कृष्ट कार्य शैली के परिणाम अधिक सुखद होते हैं। सदैव सुधार के लिए सचेष्ट रहने का संकल्प करना होगा ताकि तेजी से बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। एक अकेला निष्ठावान सक्रिय व्यक्ति अपने गांव, समाज और सम्पूर्ण समुदाय के लिए मिसाल और मशाल सिद्ध हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से विशेष प्रयास करने वाली संस्थाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामोद्योगी युक्तियों का विकास किया गया है अथवा जो खोज की गई है उन सबकी जानकारी प्राप्त की जाए और उसका प्रयोग करके लाभ उठाया जाए। कबाड़ से जुगाड़ के अनेक उपाय उपलब्ध हैं। कचरे को भी कंचन बनाया जा सकता है। फिर भला देर किस बात की। संकोच कैसा? क्यों न खुद पहल की जाए? खुद अपनी मदद के लिए आगे आया जाए। हमारी उत्कृष्ट इच्छा ही हमें रास्ता दिखाएगी। बशर्ते हम कुछ नया करने के लिए जुट जाएं।

कपार्ट के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन आदि अनेक संगठन हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सही, पूरी और नई जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार अथवा सम्पर्क किया जा सकता है। बेहतर होगा कि इनके प्रमुख प्रकाशनों को नियमित रूप से पढ़ने की आदत डाली जाए। नवीनतम जानकारी के लिए खेती, फल, फूल, कृषि चयनिका, विज्ञान प्रगति तथा आविष्कार हिन्दी मासिक पत्रिकाएं बहुत उपयोगी हैं तथा प्रमुख बुक स्टालों पर मिल जाती हैं।

कृषि, पशुपालन तथा डेयरी इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में सतत् अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा आदि के लिए हमारे देश में 55 शोध संस्थान चल रहे हैं। उनकी सूची अथवा इच्छित क्षेत्र की जानकारी हेतु निदेशक, प्रकाशन एवं सूचना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूसा, दिल्ली–12 से सम्पर्क किया जा सकता है। सिद्धहस्त कारीगरों का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयुक्त, हस्त शिल्प भारत सरकार तथा राज्यों के उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय सहायता तथा उत्कृष्ट कला कौशल के नमूनों पर नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसे कारीगरों को नई प्रौद्योगिकी अपनाकर अपनी आय को बढ़ाने के लिए सदैव सजग, सक्रिय और सचेष्ट रहना होगा। सस्ती और सरलतम तकनीकों से अंधेरे कोनों में भी उजियारा फैल सकता है। साधन और सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। जरूरत आगे बढ़कर उनसे लाभ उठाने की है। हमारे गांववासी आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें अवसर और मार्गदर्शन भर चाहिए। पहचान और परख की दृष्टि भर यदि हो जाए तो सोने में सुहागे की स्थिति बन सकती है। प्रौद्योगिकी ग्रामीणों को विकसित करेगी। बस जरूरत हमारी आपकी सहभागिता की है। ग्रामीण समाज से जुड़े सक्रिय व्यक्ति और संगठन यह आइना दिखा सकते हैं जिसमें हमारे ग्रामीण भारत की सुंदर तस्वीर दिखाई देती है। दरिद्रता से दूर सुंदर सपने साकार होते दिखाई देते हैं।

नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रसार, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए 34 क्षेत्रों में अपने केंद्र खोले थे। इम्फाल–मणीपुर, सलेमपुर इलाहाबाद, अटारा तथा कुंदेसर–उ.प्र., सांगरेडी तथा नरसापुर–आंध्रप्रदेश, फारूखनगर तथा फतेहाबाद–हरियाणा, उधमपुर तथा पुंछ जम्मू कश्मीर, बेलानाड–केरल, (हरि आदका–कर्नाटक, कूवे तथा लातूर महाराष्ट्र, चूचूपिमलांग–नगालैण्ड, कन्याकुमारी तथा कुदरकुडी–तमिलनाडु खुराई तथा जबलपुर–मध्यप्रदेश, सिलीगुढ़ी, वीरनगर तथा नरेन्द्रपुर–प. बंगाल, गोहाटी तथा जोरहाट–असम, पालमपुर–हि.प्र., मंगोलपुरी तथा मदनगीर–दिल्ली, जोरयांग–सिक्कम, अगरतल्ला–त्रिपुरा, जगदीशपुर–बिहार में, इन केन्द्रों से ग्रामवासियों को बहुत लाभ पहुंचा है। नव विकसित युक्तियों तथा छोटे–छोटे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। तकनीकी निर्माताओं की जानकारी मिली है। लाभान्वित ग्रामीणों को देखकर दूसरे क्षेत्रवासियों में प्रौद्योगिकी के प्रति लगाव बढ़ा है। इन केन्द्रों से मुख्यतः पेयजल, ग्रामीण आवास, कच्चे मकानों पर जल सहय मिट्टी का प्लास्टर, अग्निरोधी छप्पर, सुधरे शौचालय, उन्नत चूल्हे, बेहतर कृषि यंत्र तथा सुरक्षित भंडारण सहित कराई पश्चात की प्रौद्योगिकियां ग्रामीणों तक पहुंचाई गईं। पानी छानने की कैंडल, पत्तों से पत्तलें तथा दोने बनाने की मशीन, बैलगाड़ी का नया माडल, लघु दुग्ध प्रशीतन इकाई, कागज की स्लेट, धानरोपक, मिनी चावल मिल, पैडल चालित सिंचाई पंप तथा कृषि अपशिष्ट को ठोस बनाने की मशीन, ग्रामवासियों में बहुत लोकप्रिय हुई। रेशे से सुतली बनाने वाली मशीन, पापड़ प्रेस तथा पल्ले सिलने वाली मशीन, मल जल निपटान प्रणाली, औसाई पंखें, सुपारी तथा मूंगफली के छिलके उतारने का यंत्र, नारियल या खजूर के पेड़ पर चढ़ने की युक्ति फैरो सीमेंट के कुठल जैसी चीजों ने ग्रामीणों को नई दिशा दिखाई।

मक्का छीलक, थर्मो कोल की नाव, एक पहिए का साइकिल ठेला, बीज मापक, धान उसनने की उन्नत इकाई, सूखी भूमि में आसानी से जुताई करने की युक्ति, पैरचालित ईंट बनाने तथा रेशा कताई मशीनें बेयरिंग युक्त उन्नत कुम्भकारी चाक, पानी से फ्लोराइड हटाने की सस्ती नालगोंडा तकनीक, काठ–कोयला जल–छलनी, धान भूसी बर्नर, बांस के जल–पाइप तथा रेफ्रिजरेटर, कांटेदार मछली जाल, पानी में चलने वाली साइकिल, हाथ रेहड़ी, उन्नत लकड़ी ठेला, पेड़ से फल तोड़ने की सुधरी तरकीब, नई हाथ चक्की, नई दंराती, नया कीप, लटकते शैल्फ, पुराने छींके का उन्नत स्वरूप नारियल चूरा बनाने की मशीन, नारियल छिलकों से बटन बनाने

(शेष पृष्ठ 44 पर)

ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ता है टेलीविजन

डा. विनोद गुप्ता

टेलीविजन विज्ञान का वह आधुनिकतम आविष्कार है जो मानव के लिए वरदान साबित हो रहा है। बच्चे हों या बूढ़े, जवान हों या किशोर, स्त्री हों या पुरुष, सभी दूरदर्शन से लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे दूरदर्शन बड़ों की तुलना में बच्चे ही अधिक देखते हैं। फिर भी दूरदर्शन की उपयोगिता सभी आयु समूह और वर्ग के लोगों के लिए है। ग्रामीण बच्चों को टी.वी. का चस्का ज्यादा ही है। ऐसे में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दूरदर्शन की शैक्षणिक उपयोगिता और उपलब्धता क्या है? क्या दूरदर्शन पढ़ने वाले बच्चों के विकास में सहायक है अथवा बाधक?

दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना और भिन्न–भिन्न तरीकों से शिक्षा में योगदान देना है। कार्यक्रमों का नियोजन और प्रसारण इस ढंग से किया जाता है कि इस संचार माध्यम की विभिन्न सेवाओं से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्शकों को लाभ हो सके। ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कोशिश यह रहती है कि कार्यक्रम वस्तुपरक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक हो।

जितनी जरूरी पढ़ाई है, उतना ही जरूरी स्वस्थ मनोरंजन भी है। कुछ समय यदि मनोरंजन के लिए टी.वी. देखा जाए तो इससे ताजगी महसूस होती है तथा नीरसता समाप्त हो जाती है। कुछ कार्यक्रम जो केवल मनोरंजन के लिए ही प्रसारित किए जाते हैं, उनके अलावा अन्य टी.वी. कार्यक्रम बच्चों के मानसिक विकास में सहायक हैं तथा मनोरंजन के साथ–साथ ज्ञानवर्द्धक होते हैं जिनसे बच्चों में सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो दूरदर्शन ने एक नया उत्साह जगाया है जिससे बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा उठता है। जो ग्रामीण बच्चे कूपमंडूक बने हुए थे, अब बाहरी दुनिया से परिचित होने लगे हैं। ग्रामीण बच्चे जो पहले शहरी संस्कृति से अलग–थलग पड़े हुए थे और जिनमें हीन–भावनाएं और कुठाएं व्याप्त हो गई थीं, उन्हें दूरदर्शन ने एक नई राह दिखाई है। अब ये ग्रामीण बच्चे दूरदर्शन के जरिए शहरी बच्चों के बौद्धिक स्तर के समकक्ष आने लगे हैं। जो बच्चे नियमित रूप से टी.वी. कार्यक्रम देखते हैं उनका बौद्धिक स्तर निश्चित रूप से उन बच्चों से बहुत ऊंचा होता है, जो टी.वी. कार्यक्रम नहीं देखते हैं।

स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो दूरदर्शन बहुत उपयोगी है, क्योंकि दूरदर्शन उनकी पढ़ाई में मददगार भी है। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकों को रटकर उत्तीर्ण हो जाना ही नहीं रहा है, वरन इस बात के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि छात्र संबंधित विषय को अच्छी तरह समझ भी सकें। इसी उद्देश्य से अब स्कूल और कालेजों में टेलीविजन से पढ़ाई की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक छात्र दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकें, सरकार ने चुने हुए सामुदायिक केन्द्रों और स्कूल में टेलीविजन सेट लगाए हैं। शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सरकार प्राथमिक स्कूलों में टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ताकि प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता लाई जा सके। कालेजों में भी टेलीविजन सेट लगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में प्रथम दूरदर्शन केन्द्र प्रयोगात्मक रूप से सितम्बर, 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया था, तब दूरदर्शन पर स्कूलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। दिल्ली दूरदर्शन ने 1961 में नियमित रूप से शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया। बाद में इसमें विस्तारण किया गया तथा विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाने लगा। वर्तमान में दिल्ली दूरदर्शन के अतिरिक्त मुम्बई, चेन्नई, जयपुर आदि अनेक दूरदर्शन केन्द्रों से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की अवधि अलग–अलग केन्द्रों में अलग–अलग है। विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रमों के अनुसार पाठ टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं जो रविवार छोड़ प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं।

विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित रूप से प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों से न केवल शिक्षा में गुणात्मक सुधार ही द्वष्टिगोचर हुआ है। बल्कि ग्रामीण छात्रों को विषय को समझने और उसे ग्रहण करने में काफी मदद भी मिली है। छात्र बड़ी ही रुचि से कार्यक्रम देखते और समझते हैं।

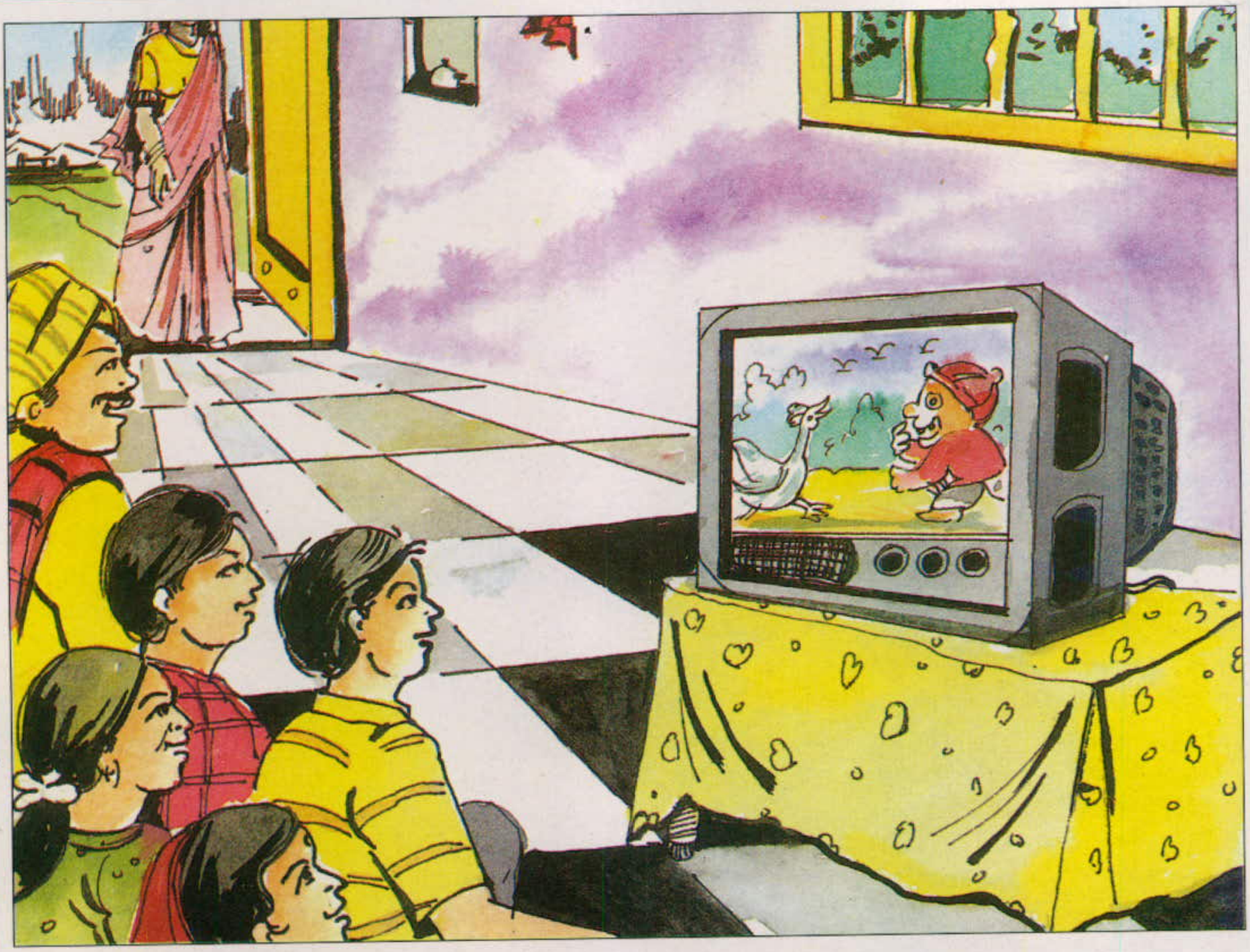

कुछ लोगों की धारणा है कि दूरदर्शन बच्चों की पढ़ाई में बाधक है, लेकिन उनकी यह धारणा सही नहीं है बल्कि सच तो यह है कि जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, वे कोई न कोई बहाना ढूढते हैं। अन्यथा जिन्हें पढ़ने में लगन और रुचि है, वे पहले पढ़ाई और बाद में टी.वी. देखते हैं। दूरदर्शन की शैक्षणिक उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था। जिससे पता चलता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों से बच्चों की पढ़ाई अप्रभावित है। अगर बच्चे स्कूल से आकर अपना गृह कार्य पहले कर लें और बाद में टी.वी. देखें, तो भला उनकी पढ़ाई में व्यवधान कैसे उत्पन्न हो सकता है? अधिकांश छात्रों ने अपनी पढ़ाई की ऊपर पढ़ाई के कार्यक्रम में इस तरह का परिवर्तन कर लिया है कि वे अपने पसंदीदा टी.वी. कार्यक्रम आसानी से देखकर अपनी पढ़ाई भी सूचारू रूप से कर रहे हैं।

कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि टी.वी. के आ जाने से बच्चों के परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह केवल मनोवैज्ञानिक भ्रम है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मैरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों ने इस बात की पुष्टि की कि वे नियमित रूप से टी.वी. देखते थे।

ग्रामीण बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास में दूरदर्शन की उपयोगिता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सरकार का प्रयास ग्रामीण इलाकों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का है ताकि देश की ग्रामीण जनता विशेषकर ग्रामीण बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। किन्तु इस अभियान में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हर समय टी.वी. के हर कार्यक्रम बच्चों के लिए देखना न तो उपयोगी ही है न ही आवश्यक है। उन्हें अपनी पढ़ाई को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें यह नियम बना लेना चाहिए कि पहले पढ़ाई बाद में टी.वी.।

टी.वी अधिक समय तक देखने से स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर रंगीन टी.वी. से। अतः टी.वी. को पर्याप्त दूरी से देखना चाहिए। रंग अत्यधिक गहरे अथवा भड़कीले न हों। जिस कमरे में टी.वी. देखा जा रहा हो, वहा पूर्ण अंधेरा नहीं होना चाहिए। न ही अत्यधिक तेज रोशनी। सामान्यतः एक ट्यूबलाइट अथवा 40 वाट का बल्ब पर्याप्त है, लेकिन यह रोशनी टी.वी. के सामने से नही, पीछे की ओर से आनी चाहिए। टी.वी. की आवाज धीमी रखनी चाहिए ताकि शोर प्रदूषण का खतरा न हो। ❑

बड़े काम का है केला

कोशल किशोर चतुर्वेदी

विश्व में केले का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जाती है। इससे लगभग 1 करोड़ 50 टन केले का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। यद्यपि यह देश के कोने–कोने में उगाया जाता है किन्तु महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। भारत के अलावा एशिया के अन्य देशों, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में भी इसे उगाया जाता है।

वानस्पतिक पहचान

केले को वानस्पतिक कुल **'म्यूसेसी'** के अन्तर्गत रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम **मूसा पैराडीसिआका** है। इसकी 10 प्रजातियां भारत में पायी जाती हैं, जिनमें **मूसा पैराडीसिआका** उपजाति **सेपिएन्टम** नामक प्रजाति की खेती यहां सबसे अधिक की जाती है। केले के अलावा इसे 'कदली' भी कहा जाता है।

शाकीय पौधों में यह काफी लम्बा होता है। यहां तक कि इसकी लम्बाई 15 मीटर तक पाई गई है। 'भुसावली' केला अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका तना भूमिगत होता है, जिसे 'राइजोम' कहते हैं। जमीन के ऊपर तने जैसा कठोर मोटा भाग जो दिखाई देता है वह वास्तव में तना न होकर पत्तियों का ही संगठित रूप है। इस पर शाखाएं नहीं होतीं। इस **'झूठे तने'** के ऊपर छत्रक के रूप में बड़ी–बड़ी, चौड़ी पत्तियां होती हैं जो बीच–बीच में प्रायः फटी रहती हैं। पत्तियों के बीच से एक बड़ा, लाल रंग का मांसल शल्क निकलता है जिसके अन्दर काफी संख्या में पुष्प गुच्छे में लगे होते हैं। इन्हीं पर फल लगते हैं। ये 100–150 के समूह में होते हैं, जो 4–6 महीने में पकने होते हैं। जिस पौधे पर एक बार फल लग जाते हैं उसे काट दिया जाता है। पुनः उसके भूमिगत तने 'राइजोम' से नया पौधा तैयार हो जाता है।

उपयोग

यद्यपि केले का प्रत्येक भाग बहुत उपयोगी है किन्तु इसका फल सबसे अधिक लाभकारी है। यह भारतीयों को आसानी से उपलब्ध होने वाला अत्यन्त सस्ता तथा स्वास्थ्यवर्धक फल है। यह पौष्टिक भी है तथा इसे कई रोगों के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें काफी मात्रा में शर्करा, विटामिन तथा थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और वसा पायी जाती है। इसके विभिन्न भागों के उपयोग इस प्रकार हैं :

औषधीय उपयोग

- इसकी जड़ें कृमिनाशक हैं। इसे पीसकर लेप करने से कुष्ठ रोग दूर होता है। इसके रस को घी और शक्कर के साथ

मिलाकर देने से सूजाक रोग में फायदा पहुंचता है। यह भूख बढ़ाने में भी सहायक है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की **'मारिया'** जन–जाति इसके लेप को त्वचा रोगों में विशेष रूप से इस्तेमाल करती है (यह जानकारी लेखक ने स्वयं बस्तर जिले के अपने नृ–वानस्पतिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की है)।

- तने ('झूठे' तने) के पानी (रस) को जले घाव पर लगाने से लाभ पहुंचता है। यह पेट में शीतलता प्रदान करता है। इसके रस को अपस्मार तथा मिर्गी में भी दिया जाता है। इसे पेचिश में भी फायदेमन्द पाया गया है।
- पत्तियों को पीसकर लगाने से दाद, खाज, खुजली दूर होती है। इसके रस को चावल के 'माड़' के साथ लेने से पेट रोग (विशेषकर डायरिया) दूर होते हैं।
- फूलों का रस मट्ठे के साथ मिला कर सेवन करने से पेट–दर्द दूर होता है। यह अन्दर जमी हुई कफ निकालने में भी मदद करता है। गोंड आदिवासी इसे दस्त रोकने में प्रयोग करते हैं।
- कच्चे फलों को खाने से मधुमेह (डायबिटीज़) रोग ठीक होता है। यह शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है। मध्य प्रदेश की प्रायः सभी जन–जातियां इसे विभिन्न प्रकार के पेट रोगों में प्रयोग करती हैं। आयुर्वेद में भी इसे शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है।
- पके हुए फलों का सेवन करने से पेट साफ रहता है तथा शरीर में शक्ति आती है। इसे कामोत्तेजक भी पाया गया है। यह शरीर का वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने में भी सहायक है। इसके लगातार सेवन से त्वचा का रंग निखरता है तथा चेहरा कान्तिमय हो जाता है। यह अधिक दस्त रोकने में भी उपयोगी है। इसे इलायची के साथ लेने से बवासीर में फायदा पहुंचता है। एक पके केले के गूदे को एक कप दूध में मिलाकर देने से अल्सर दूर होता है। इसे गले की खराश दूर करने में भी लिया जाता है। यह गुर्दे के रोगों में भी काम करता है। इसे काफी दिनों तक लेने से खून की कमी दूर होती है। यह स्कर्वी को दूर भगाता है।

अन्य उपयोग

औषधीय महत्व के अलावा इसके बहुत से दूसरे उपयोग भी हैं :

- कच्चे फल के गूदे से शराब बनाई जाती है।
- कच्चे तथा पके फल भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किये जाते हैं तथा कच्चे फल सब्जी के रूप में उपयोगी हैं।
- भारतीय जन–जातियां फलों को पकाकर वैसे ही खाती हैं।
- पत्तियों से रेशे (फाइबर) प्राप्त किये जाते हैं जिससे चटाई तथा कपड़ा बनाया जाता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि हमारे आस–पास पाया जाने वाला शाकीय पौधा केला यानी कदली बड़े ही काम का है। यह सभी को आसानी से सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर शरीर को नीरोग बनाना चाहिए। यह रोजगार देने में भी सहायक है। इसकी खेती तथा विपणन से ग्रामीण लोगों की आर्थिक–स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। अतः ग्रामीणों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ❑

(पृष्ठ 40 का शेष) **उपयुक्त प्रौद्योगिकी.....**

की मशीन, लघु दाल मिल, कुएं से पानी खींचने की बेयरिंग युक्त घिरनी, लकड़ी ढोने की बेहतर युक्ति, मक्का की गिल्ली से कोयला, दो डिब्बों का स्टोव क्लोरिन युक्त बर्तन, जूं एवं कीटनाशी तेल, नया शीतल घड़ा, अर्थात् बिना बिजली का सस्ता फ्रिज जैसी तकनीकी जानकारी ग्रामवासियों को देने के लिए कपार्ट ने गाइडों का प्रकाशन किया था जो कि बेहद उपयोगी है। ये तो चंद उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी संस्थान नैनी, इलाहाबाद जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

गांव की गरीबी और बेकारी को दूर करके आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए ऋण, अनुदान और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने आवश्यक हैं। इसी के साथ–साथ यदि उपयुक्त तकनीक भी साथ हो तो अकुशलता कौशल में बदल जाती है। जटिल परिस्थितियां सरल हो जाती हैं। भारत जैसे विशाल देश में अलग–अलग क्षेत्रों की अलग–अलग आवश्यकताएं हैं। स्थानीय मिट्टी जलवायु तथा परम्पराएं सब अलग–अलग हैं। अतः कोई एक युक्ति अथवा उपकरण सामान्य रूप से सर्वत्र सफल सिद्ध नहीं हो सकता। फिर भी नव विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रतिकूलताओं को अनुकूल किया जा सकता है। सदियों से हमारे देश में ज्ञान और अनुभव के आधार पर सुधार करने की परम्परा रही है। मानव सभ्यता के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तक की श्रृंखला में यह सत्य उजागर हुआ है।

भूमंडलीकरण के दौर में हमें अनुपयुक्त हो चुकी पुरानी बातों का विकल्प खोजना होगा। ताकि हम एक ही जगह खड़े रहकर कदमताल करने के स्थान पर आगे बढ़ सकें। हमारे गावंवासियों में से अनेक ऐसे हैं जिनके पास बेहतर तरीके अथवा ऐसे उपकरण हैं जो उन्होंने खुद अपनी सूझबूझ से विकसित किए हैं। वे आम भाषाओं में ऐसी युक्ति को सुगत या जुगाड़ कहते हैं। इनकी अनदेखी करने से काम चलने वाला नहीं है। यही तो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इसका प्रयोग करके ग्रामीण विकास के कार्यों को गति प्रदान की जा सकती है। ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का ग्राफ उपर उठाया जा सकता है। रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। गांवों को शहरों के समकक्ष लाया जा सकता है। जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। तकनीक चाहे पारंपरिक हो अथवा नवीन इसका प्रयोग और प्रचार–प्रसार आवश्यक है। विकास एवं कार्यान्वयन अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी में ग्रामवासियों की सीधी भागीदारी से ग्रामीण विकास की गति बहुत तेज हो सकती है। ❑

(द्वितीय आवरण पृष्ठ का शेष)
बाद उन्होंने हिम्मत कर सरपंच का चुनाव लड़ा और विजयी रहीं। सरपंच के लिए चुनाव लड़ने पर कोई विरोध नही हुआ। यह पूछे जाने पर वे कहती हैं – "विरोध तो हुआ। सभी ने कहा कि चुनाव मत लड़ो, हार जाओगी। क्योंकि मैं पहले से ही पंच थी इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने 500 से अधिक मतों से चुनाव जीता।"

परिवार में किसी ने विरोध अथवा असहमति जताई? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमती उर्मिला यादव ने कहा – "15 सालों से गांव में सामाजिक कार्य कर रही थी। अखिल भारतीय महिला परिषद से भी जुड़ी हुई थी। अतः परिवार की तरफ से किसी किस्म का विरोध नहीं था। एक बेटा है जो वायु सेना में है। देवर–जेठ हैं जो सहायता ही करते हैं। सच कहूं तो मैं अपने हिसाब से काम करती हूं।" सामजिक, राजनैतिक और पारिवारिक, किसी भी प्रकार के विरोध से उर्मिला यादव इनकार करती हैं। वे अब तक अपनी ग्राम पंचायत में एक करोड़ रुपये के काम करा चुकी हैं। यह रकम पेयजल, शिक्षा और आवास जैसी समस्याओं पर मुख्यतः खर्च की गई है। सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरा सहयोग मिला है। यदि उनकी पंचायत का कोई काम प्रशासनिक स्तर पर नहीं होता है तो वे धरना और भूख हड़ताल आदि का भी सहारा लेने से भी नहीं चूकती हैं। महिलाओं के अलावा पुरुषों का भी पूरा समर्थन उन्हें मिलता है। अपने इसी जुझारूपन के लिए उन्हें जिला और ब्लाक स्तर पर दो बार सम्मानित किया जा चुका है। सरपंच रहते हुए भी उनका कोई सपना जो अभी तक पूरा नहीं हो सका हो? के जवाब में श्रीमती उर्मिला यादव बताती हैं – "मेरा गांव काफी बड़ा है। आबादी भी काफी है लेकिन गांव में कोई अस्पताल नहीं है। यहां से 30 किलोमीटर दूर अस्पताल है। मैं चाहती हूं कि गांव का अपना अस्पताल हो। अस्पताल के अलावा लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद यहां लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। गांव की लड़कियां पढ़ना चाहती हैं पर नहीं पढ़ पातीं।"

अपनी ग्राम पंचायत के तहत विकास का ऐसा ही जजबा तमिलनाडु से आईं सुरमंजरी से बातचीत करते वक्त दिखाई दिया। 35–वर्षीय सुरमंजरी तमिलनाडु के वेल्लौर जिले के नैटेरी गांव की सरपंच हैं।

दसवीं तक शिक्षा प्राप्त सुरमंजरी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि गांव के पुरुषों अथवा परिवार के सदस्यों ने विरोध तो नहीं किया? तब वे बताती हैं:– "हमारे परिवार में पहले से ही सरपंच का पद रहा है इसलिए विरोध जैसी कोई बात नहीं हुई। पांच महिला उम्मीदवार थीं। हमारी जीत हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के चलते हुई।" लेकिन बाद में किसी तरह की परेशानी अथवा विरोध जो पंचायत में हुआ हो? के जवाब में वे बताती हैं – "इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी समर्थन मिला और मिल रहा है। सभी काम बिना किसी हस्तक्षेप के होते हैं। सभी सदस्यों को समुचित महत्व दिया जाता है।" प्रशासनिक स्तर पर कोई रुकावट आती है? के उत्तर में वे कहती हैं – "प्रशासनिक स्तर पर भी कोई रुकावट नहीं। क्षेत्र के एम.पी., एम.एल.ए. वित्तीय सहायता से लेकर हर तरह की सह.यता देते हैं। इसी कारण वे अपने गांव के लिए इतना सब कुछ कर सकी हैं।" श्रीमती सुरमंजरी के हाथों में उन कार्यों की कई पन्नों की सूची है जिसमें उनकी उपलब्धियां शामिल हैं। वे सूची सामने रख देती हैं।

तमिलनाडु महिला सहकारी योजना – बंगारू अम्मायर मैमोरियल महालिर थिट्टम जैसे स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी श्रीमती सुरमंजरी ने कई सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। अपनी पंचायत के अंतर्गत उन्होंने छः अंतरजातीय विवाह, तीन विधवा पुनर्निवाह करवाने में मदद की है। 32 पारिवारिक झगड़े, सात दहेज के मामले, 40 विधवा पेंशन के मामले सुलझाने और इंदिरा आवास योजना के तहत 20 निर्धनों को मकान दिलवाने में सहायता की है। इन कार्यों में कभी पक्षपात का आरोप तो नहीं लगा? इस पर बताती हैं – "कोई बड़ा विरोध तो नहीं हुआ। हां, एक बार मकान बनाने को लेकर गांव में विरोध हुआ। सभी अपने–अपने लोगों को मकान दिलवाना चाहते थे। गांव में कई गुट बन गए पर अंत में मामला निपट गया।" जहां उर्मिला यादव एक करोड़ से अधिक पैसा गांव के विकास में लगवा चुकी हैं वहीं सुरमंजरी छोटी ग्राम पंचायत होने के कारण धन की कमी बताती हैं। बहरहाल, उर्मिला यादव और सुरमंजरी जैसी हजारों महिला सरपंच सीमित साधनों और विरोध के बावजूद अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। सम्मेलन में आईं इन तमाम महिला पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत में से तो यही तथ्य उभर कर आता है।

प्रस्तुतिः जयसिंह

आर एन. /708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057/2001
आई.एस.एन.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में
डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/2001
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to Post without pre-payment of DPSO, Delhi-54

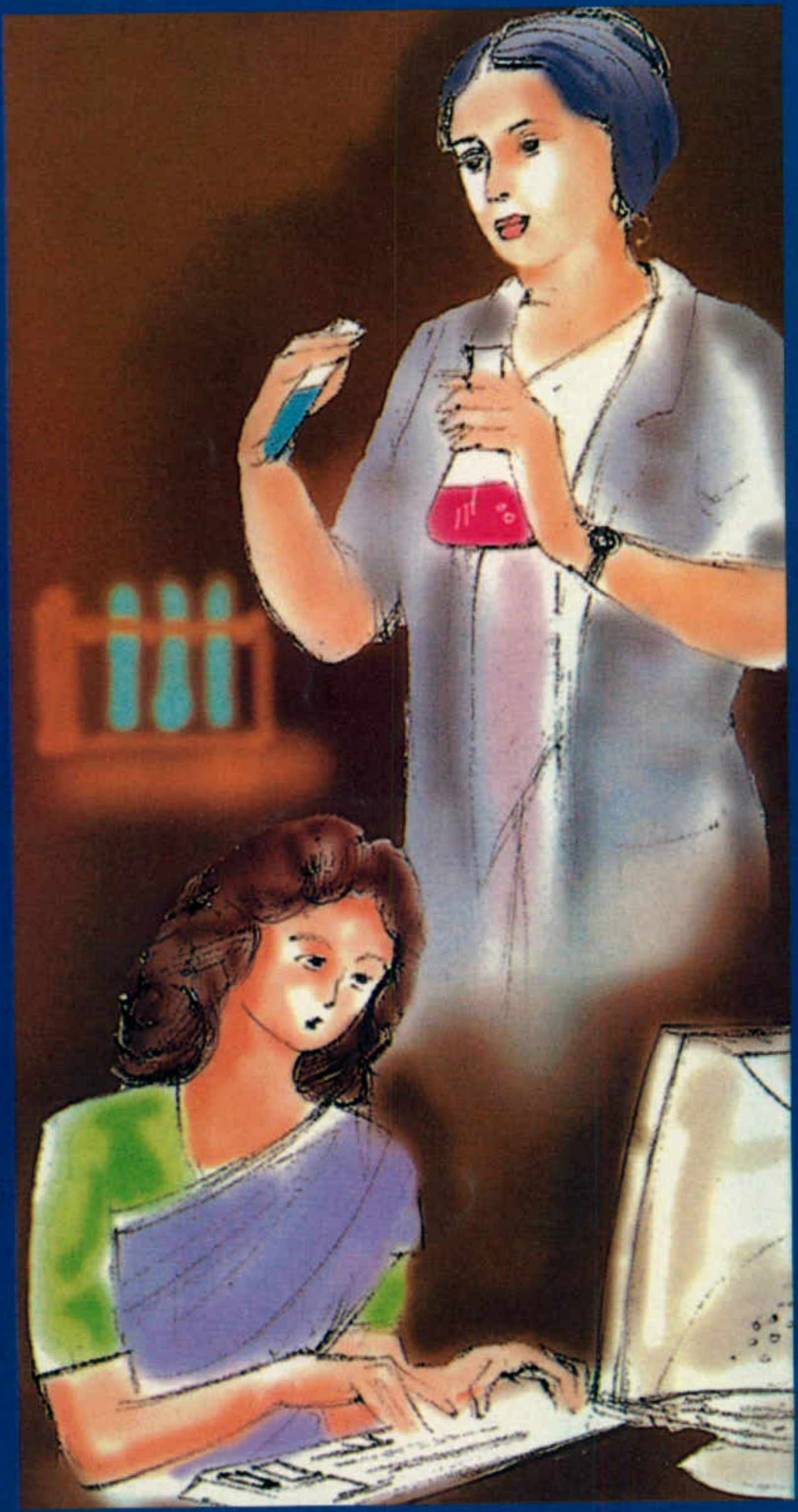

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली –110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू –30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–*II*, नई दिल्ली–20 संपादक: बलदेव सिंह मदान